रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2005/भाद्र 14, 1927
No. 372] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2005/BHADRA 14, 1927

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बीमा प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 559(अ).— केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 अगस्त, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे :

परंतु निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई वर्ग I अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है जिसमें वह इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से अपूर्व और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से इन नियमों के उपबंधों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, तो निगम आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकता है। इस प्रकार चयनित तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

(3) ये नियम उन वर्ग I अधिकारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1 अगस्त, 2002 या उसके पश्चात् पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे :
परंतु यह कि ऐसे अधिकारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन तारीख 1 अगस्त, 2002 से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के पात्र नहीं होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 में,-

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान : वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार होंगे :

(1)	(i) क्षेत्रीय प्रबंधक (ii) मुख्य इंजीनियर/ मुख्य वास्तुविद	(क) सामान्य वेतनमान : 28605-785(5)-32530रुपए (ख) चयन वेतनमान 31745-785(2)-33315-850(1)-34165-940(1)-35105-995(1)-36100 रुपए
(2)	(i) उप क्षेत्रीय प्रबंधक/ ज्येष्ठ मंडल प्रबंधक (ii) उप मुख्य इंजीनियर/ उप मुख्य वास्तुविद	25930-650(3)-27880-725(2)-29330 रुपए
(3)	(i) मंडल प्रबंधक (ii) अधीक्षण इंजीनियर/ ज्येष्ठ संकर्म सर्वेक्षक/ ज्येष्ठ वास्तुविद	22030-650(7)-26580 रुपए
(4)	(i) सहायक मंडल प्रबंधक/ ज्येष्ठ शाखा प्रबंधक (ii) कार्यपालक इंजीनियर/ संकर्म सर्वेक्षक/ उप ज्येष्ठ वास्तुविद	18130-540(1)-18670-560(6)-22030-650(4)-24630 रुपए
(5)	(i) प्रशासनिक अधिकारी/ शाखा प्रबंधक (ii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर/	14890-540(7)-18670-560(6)-22030रुपए

		सहायक संकर्म सर्वेक्षक/ वास्तुविद	
(6)	(i)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक शाखा प्रबंधक	11110-540(14)-18670-560(4)-20910रुपए
	(ii)	सहायक इंजीनियर / सहायक वास्तुविद	

टिप्पणः विभिन्न क्रम संख्यांकों के अधीन प्रविष्टि (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के संबंध में पृथक् ज्येष्ठता सूची रखी जाएगी ।

(ii) नियम 4क. के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4 क. वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर मूल वेतन में वृद्धिः-कार्य अभिलेख के समाधानपूर्ण पाए जाने के अधीन रहते हुए,-

(क) सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में के ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य मूल वेतन में वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम दो होंगी :

परंतु कोई अधिकारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा ;

(ख) सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में के ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य मूल वेतन में वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी, किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम चार होंगी :

परंतु कोई अधिकारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा ;

(ग) सहायक मंडल प्रबंधक के वेतनमान में के किसी अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतन वृद्धि के समतुल्य मूल वेतन में वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी, किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम दो होंगी :

परंतु कोई अधिकारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा ;

परंतु जहां किसी अधिकारी को उसको लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि से, (यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि से जिसे इसमें इसके पश्चात् " सुसंगत तारीख" कहा गया है) मूल वेतन में खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट वृद्धि अनुदत्त नहीं की जाती तो उसका मामला, सुसंगत तारीख से संगणित की जाने वाली सेवा के बारह मास पूर्ण करने के पश्चात्वर्ती मास या ऐसे पुनरीक्षण की तारीख से उस प्रत्येक कलेंडर वर्ष में पुनरीक्षण के लिए तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके मूल वेतन में ऐसी वृद्धि अनुज्ञात न की जाए और तत्पश्चात् यदि ऐसी वृद्धि अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उस कलेंडर वर्ष जिसमें विनिश्चय किया गया है के उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमें पुनरीक्षण किया जाना था ।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'कलेंडर वर्ष' से अभिप्रेत है "1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि ।" ;

(iii) नियम 5 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग I अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :-

(क) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

(ख) आधार : 1960= 100 की श्रृंखला में सूचकांक सं. 2328

(ग) दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 2328 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए वर्ग I अधिकारी को वेतन के 0.18 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनार्थ , " वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, जिसमें इन नियमों के नियम 4क के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित हैं ।

(ख) उपनियम (2) में " 1740 प्वाइंट से ऊपर होने पर 1740-1744-1748-1752", अंकों और शब्दों के स्थान पर " 2328 प्वाइंट से ऊपर होने पर 2328-2332-2336-2340" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निमनलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) वर्ग I अधिकारी का, सिवाय उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा :

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i. मुबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवीं मुम्बई नगर ।	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 1600 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, गोवा राज्य में कोई नगर और गांधी नगर ।	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 1350 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 1300 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पणः इस नियम के प्रयोजनार्थ,--

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ।

(iii)"वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता। ";

(v) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : वर्ग I अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित होगा :-

तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकारात्मक भत्ते की दर
i. मुबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवीं मुम्बई नगर ।	वेतन का 3 प्रतिशत अधिकतम 500 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक है, गोवा राज्य में कोई नगर और गांधी नगर ।	वेतन का 2.5 प्रतिशत अधिकतम 470 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. वे नगर जिनकी आबादी पांच लाख और उससे अधिक है किंतु बारह लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी बारह लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला नगर ।	वेतन का 2 प्रतिशत अधिकतम 335 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पणः इस नियम के प्रयोजनार्थ,–

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ;

(iii) " वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4क के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां।";

(vi) नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7क पर्वतीय स्थान भत्ताः-

वर्ग I अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता का मापमान निम्नानुसार होगा :-

क्र.सं.	स्थान (1)	दर (2)
1	1,500 मीटर और औसत समुद्री तल से ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन के 2.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 335 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2	मेरकारा और ऐसे स्थानों में जो केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए 'पर्वतीय स्थान' के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से घोषित 1,000 मीटर से अधिक किंतु 15,00 मीटर से कम औसत समुद्री तल से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन के 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 270 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3	औसत समुद्री तल से अधिक 750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित जो 1000 मीटर और उससे अधिक औसत समुद्री तल की ऊंचाई पर, पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और	मूल वेतन के 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 270 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

	जहां केवल पहाड़ियों के बीच से ही पहुंचा जा सकता है, स्थानों पर तैनात	

(vii) नियम 7ख में " 120 रुपए" अंकों और शब्द के स्थान पर " 150 रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) नियम 7ग में "200 रुपए" अंकों और शब्द के स्थान पर " 500 रुपए " अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ix) नियम 9क में उपनियम (5) के खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) ऐसा कोई अधिकारी जिसने 22 जून, 2002 के पश्चात् निगम की सेवाएं आरंभ की हैं इस वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा ";

(x) नियम 9ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9ख परिवहन भत्ता: ऐसे अधिकारी से भिन्न प्रत्येक वर्ग I अधिकारी को जो निगम की किसी स्कीम के अधीन कोई सवारी भत्ता प्राप्त कर रहा है, 500 रुपए प्रतिमास परिवहन भत्ता संदत्त किया जाएगा। ";

(xi) नियम 9(ग) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9ग उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन(पीएलएलआई) :निगम के वर्ग I अधिकारियों को उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा :

(i) 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए 1 अगस्त, 2002 को वर्ग I अधिकारियों के मजदूरी बिल (पुनरीक्षण पूर्व) के एक प्रतिशत का उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के बदले एक समय एकमुश्त अनुग्रह के रूप में संदाय किया जाएगा।
(ii) 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट होगा :

परंतु यद्यपि अगला मजदूरी पुनरीक्षण 1 अगस्त, 2007 को शोध्य होता है किन्तु वही उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम वित्तीय वर्ष 2008-2009 तक लागू होगी।";

(xii) नियम 9(घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 9घ पारादीप पत्तन भत्ता :

पारादीप में कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक वर्ग I अधिकारी को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या पारादीप में सेवारंभ की तारीख, जो भी बाद में हो, के

पश्चात्वर्ती मास की पहली तारीख से 75 रुपए प्रतिमास "पारादीप पत्तन भत्ता" संदाय किया जाएगा । यह भत्ता किन्हीं फायदों के लिए पंक्ति में नहीं होगा । ";

(xiii) परिशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :-

परिशिष्ट
उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम (पीएलएलआई)
(नियम 9ग देखिए)

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के अनुदान के लिए शर्तें	(1) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का अनुदान निगम के निम्नलिखित क्षेत्रों में समग्र रूप से निष्पादन पर निर्भर करेगा : नई पालिसियों में वर्धन प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में वर्धन कुल प्रीमियम आय में वर्धन पूर्व दावा अनुपात ; और वास्तविक संपदा से आय में वर्धन (2) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष के आधार पर संगणित किया जाएगा और निगम द्वारा ऊपर यथा उल्लिखित पांच प्राचलों में प्राप्त निष्पादन के स्तर पर आधारित होगा । (3) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन केवल तभी संदेय होगा जब निगम की उपलब्धियां कुल प्रीमियम आय पर प्रारंभिक स्तरों से अधिक हों जो कि नीचे सारणी (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(4) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की संगणना भारित औसत पद्धति पर आधारित होगी जो ऊपर मद (1) में दिए गए पांच प्राचलों पर संगणित होगा । इस प्रकार प्राप्त प्रतिशतता निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी । पात्र उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन प्रतिशतता भारित औसत पद्धति या कुल प्रीमियम आय के अधीन उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की प्रतिशतता, जो भी कम हो, लागू करने पर प्राप्त उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन प्रतिशतता होगी ।

(5) निम्नलिखित वरीयता लागू होगी

प्राचल	वरीयता
(i) कुल प्रीमियम आय	4
(ii) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय	4
(iii) नई पालिसियां	3
(iv) पूर्व दावा अनुपात	2
(v) भाटक आय	2

(6) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1 अगस्त, 2002 को वर्ग I अधिकारियों के पुनरीक्षण पूर्व मजदूरी बिल के अधिकतम 6 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत आदि स्तरों पर संदेय होगा जो इससे उपाबद्ध सारणियों के अनुसार ऊपर वर्णित क्षेत्रों में वर्धन दरों की प्राप्ति पर निर्भर करेगा ।

	(7) इस प्रयोजन के लिए कुल प्रीमियम आय और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय वैयक्तिक बीमा पालिसियों पर प्रीमियम आय जमा जीवन सुरक्षा और अन्य वैयक्तिक पेंशन योजनाओं की बाबत प्रीमियम का 10 प्रतिशत, जमा बीमा निवेश, जीवन अक्षय और अन्य एकल प्रीमियम पालिसियों की बाबत 1.25 प्रतिशत, जमा बीमा जमा, भावी जमा और इसी प्रकार की योजनाओं का 50 प्रतिशत और इसमें पेंशन और समूह स्कीम प्रीमियम आय सम्मिलित नहीं होगी । तथापि, ऊपर लिखित पांचों प्राचलों में से किसी में सीमांत कमी को अध्यक्ष द्वारा माफ किया जा सकता है। (8) मजदूरी बिल की प्रतिशतता के रूप में उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की रकम निगम द्वारा नीचे सारणियों में प्रत्येक प्राचल के लिए उल्लिखित प्रतिशतताओं के विरुद्ध क्षेत्रों में प्राप्त मात्राओं पर निर्भर करेगी परंतु सारणी 1 में यथा विनिर्दिष्ट कुल प्रीमियम आय, सारणी 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रथम वर्ष प्रीमियम आय, सारणी 3 में यथा विनिर्दिष्ट नई पालिसियों की संख्या, सारणी 4 में यथा विनिर्दिष्ट भाटक आय और सारणी 5 में यथा विनिर्दिष्ट पूर्व दावा अनुपात आय की रकम संबंधित सारणियों में यथा विनिर्दिष्ट कुल प्रीमियम आय, प्रथम वर्ष प्रीमियम आय, नई पालिसियों की संख्या , भाटक आय और पूर्व दावा अनुपात की रकम से कम नहीं होगी । (9) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2008-2009 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रतिवर्ष एकमुश्त वितरित की जाएगी ।

	(10) प्रस्तावित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन, कारपोरेशन के कुल मजदूरी बिलों के लिए 1 अगस्त, 2002 को पुनरीक्षण पूर्व वेतन बिल के अनुपात में विभिन्न वर्गों में वितरित की जाएगी । (11) निगम को, उसके कर्मचारियों के लिए उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के, उसे अंतिम रूप से शाखा स्तर तक ले जाने के लिए, विकेन्द्रीकृत निष्पादन मापमानों को विरचित करने और निबंधनों और शर्तों को विरचित करने के लिए सशक्त किया जाएगा । बोर्ड इस अधिसूचना की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर जोन या मंडल या शाखा स्तर के लिए उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन लेने के लिए विनियम बनाएगा । (12) प्राचलों को दिया गया अधिमान वही रहेगा जो मद (5) के अधीन दिया गया है ।

सारणी 1

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित कुल प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	71047	83573	98307	115638
1 %	71626	84204	98999	116402
2 %	72207	84838	99694	117169
3 %	72790	85474	100392	117939
4 %	73375	86113	101094	118713
5 %	73963	86755	101798	119490
6 %	74554	87400	102506	120272

सारणी 2

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रथम वर्ष प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	14454	15848	17242	18636
1 %	14571	15967	17363	18759
2 %	14690	16088	17485	18883
3 %	14808	16208	17608	19007
4 %	14927	16330	17731	19131
5 %	15047	16451	17854	19257
6 %	15167	16574	17978	19383

सारणी 3

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित नई पालिसियों की न्यूनतम संख्या			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	31222179	33452923	35683667	37914411
1 %	31476446	33705584	35934935	38164723
2 %	31731728	33959299	36187299	38416176
3 %	31988029	34214075	36440766	38668779
4 %	32245357	34469917	36695344	38922540
5 %	32503716	34726833	36951039	39177467
6 %	32763114	34984829	37207860	39433567

सारणी 4

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित भाटक आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	60.58	64.41	68.24	72.07
1 %	61.07	64.90	68.72	72.55
2 %	61.57	65.38	69.20	73.02
3 %	62.07	65.88	69.69	73.50
4 %	62.57	66.37	70.17	73.99

5 %	63.07	66.86	70.66	74.47
6 %	63.57	67.36	71.15	74.96

सारणी 5

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	कुल मृत्यु दावों के प्रति पूर्व मृत्यु दावों का अधिकतम अनुपात			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	26.00%	25.40%	24.80%	24.20%
1 %	25.90%	25.30%	24.70%	24.10%
2 %	25.80%	25.20%	24.60%	24.00%
3 %	25.70%	25.10%	24.50%	23.90%
4 %	25.60%	25.00%	24.40%	23.80%
5 %	25.50%	24.90%	24.30%	23.70%
6 %	25.40%	24.80%	24.20%	23.60%

[फा. सं. 2(14) बीमा-3/2002 (i)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एण्ड इंश्योरेंस)

टिप्पण:- मूल नियम सा0का0नि0 सं0 794(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा0का0नि0 सं0 960(अ) तारीख 7 दिसंबर, 1987, सा0का0नि0 सं0 493(अ) तारीख 22 अप्रैल, 1988, सा0का0नि0 सं0 872(अ) तारीख 22 अगस्त, 1988, सा0का0नि सं0 711(अ) तारीख 25 जुलाई, 1989, सा0का0नि0 सं0 816(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 1990, सा0का0नि0 सं0 324(अ) तारीख 10 मार्च, 1992, सा0का0नि0 सं0 53(अ) तारीख 2 फरवरी, 1994, सा0का0नि0 597(अ) तारीख 30 जून, 1995, सा0का0नि0 सं0 94(अ) तारीख 16 फरवरी, 1996, सा0का0नि0 सं0 286(अ) तारीख 18 जुलाइ, 1996, सा0का0नि0 सं0 530(अ)तारीख 27अगस्त, 1998, सा0का0नि0 सं0 612(अ) तारीख 30 अगस्त, 1999 और सा0का0नि0 550(अ) तारीख 22 जून, 2000 द्वारा संशोधित किए गए ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ग I अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है । तदनुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के लिए निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का संशोधन किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION
New Delhi, the 5th September, 2005

G.S.R. 559(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:-

1. Short title, commencement and application .- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2005.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2002:

Provided that where any Class I Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such officer.

(3) These rules shall be applicable to those Class I Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2002:

Provided that the officers whose resignations had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2002 to the date of publication of this notification in the Official Gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985,-

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :-

"4. Scales of Pay of Class I Officers: The scale of pay of the Class I Officers shall be as under :-

(1)	(i) Zonal Managers (ii) Chief Engineers/ Chief Architects	)	(a) Ordinary Scale : Rs. 28605-785(5)-32530 (b) Selection Scale : Rs. 31745-785(2)-33315-850(1)-34165-940(1)-35105-995(1)-36100
(2)	(i) Deputy Zonal Managers/ Senior Divisional Managers (ii) Deputy Chief Engineers/ Deputy Chief Architects	)	Rs. 25930-650(3)- 27880-725(2)-29330
(3)	(i) Divisional Managers (ii) Superintending Engineers/ Senior Surveyors of Works/ Senior Architects	)	Rs. 22030-650(7)-26580
(4)	(i) Assistant Divisional Managers/ Senior Branch Managers (ii) Executive Engineers/ Surveyors of Works/ Deputy Senior Architects	)	Rs. 18130-540(1)-18670-560(6)-22030-650(4)-24630

(5)	(i)	Administrative Officers/ Branch Managers	)
	(ii)	Assistant Executive Engineers/ Assistant Surveyors of Works/ Architects	) Rs. 14890-540(7)-18670-560(6)-22030
(6)	(i)	Assistant Administrative Officers/ Assistant Branch Managers	)
	(ii)	Assistant Engineers/ Assistant Architects	) Rs. 11110-540(14)-18670-560(4)-20910

Note : A separate seniority list shall be maintained in respect of Officers appointed to posts specified in entry (ii) under various serial numbers.";

(ii) for rule 4A, the following rule shall be substituted, namely :-

"4A. Addition to basic pay after reaching maximum of scale: Subject to the work record being found satisfactory,-

(a) an Officer in the scale of pay of Assistant Administrative Officer who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of two such additions:

Provided that no officer shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of three years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be;

(b) an Officer in the scale of pay of Administrative Officer who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of four such additions:

Provided that no officer shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of three years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be;

(c) an Officer in the scale of pay of Assistant Divisional Manager who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of two such additions:

Provided that no officer shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of three years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be;

Provided that where an Officer is not granted such addition to the basic pay referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) on first day of the month following completion of three years of service from the date of reaching maximum of the scale of pay applicable to him or from the last such addition to the basic pay (such first day of the month following completion of three years of service from the date of reaching maximum of scale of pay or the last such addition to the basic pay being hereinafter referred to as "the relevant date", as the case may be), his case shall fall due for review in each calendar year in the month following that in which he completes twelve months of service as reckoned from the relevant date, or from the date of such review, so long as he has not been allowed such addition to the basic pay, and if it is decided to allow such addition subsequently, it shall take effect from the first of the month in which the review has fallen due in the calendar year in which the decision is taken.

Explanation .- For the purposes of this rule, 'calendar year' means the period from the 1st day of January to the 31st day of December.";

(iii) in rule 5,

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scale of dearness allowance applicable to Class I Officers shall be determined as under:-

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No.2328 in the series 1960=100.

(c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 2328 points, a Class I Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.18 % of Pay.

Explanation.- For the purposes of this rule, "Pay" means basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under rule 4A of these rules.";

(b) in sub-rule(2), for the figures and words "1740 points in the sequence of 1740-1744-1748-1752", the figures and words "2328 points in the sequence of 2328-2332-2336-2340" shall be substituted ;

(iv) in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The House Rent Allowance applicable to Class I Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation shall be as under:

Place of posting	Rate of House Rent Allowance
i. Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	10% of Pay, subject to the maximum of Rs.1600/- per month
ii. Cities with population exceeding 12 lakhs, except those mentioned at (i), Gandhinagar and any city in the State of Goa	8% of Pay,subject to the maximum of Rs. 1350/- per month.
iii. Other places.	7% of Pay,subject to the maximum of Rs. 1300/- per month

Notes : for the purpose of this rule,

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations;

(iii) 'pay' means basic pay, additions to basic pay and Fixed Personal Allowance.";

(v) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. City Compensatory Allowance: The City Compensatory Allowance payable to Class I Officers shall be as under:-

Place of posting	Rate of CCA
i. Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	3% of Pay, subject to maximum of Rs. 500/- p.m.
ii. Cities with population exceeding twelve lakhs, except those mentioned at (i), Gandhinagar and any city in the State of Goa .	2.5% of Pay, subject to maximum of Rs.470/- p.m.
iii. Cities with population of five lakhs and above but not exceeding twelve lakhs, State Capitals with population not exceeding twelve lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair, and Panchkula.	2% of Pay, subject to maximum of Rs. 335/- p.m.

Notes : for the purposes of this rule,

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations;

(iii) "pay" means basic pay plus additions to basic pay under rule 4A.";

(v) for rule 7A , the following rule shall be substituted, namely :-

"7A Hill Allowance:-

The scales of Hill Allowance payable to Class I Officers shall be as follows :-

Serial Number	Places (1)	Rates (2)
1	Posted at placed situated at a height of 1,500 meters and over above mean sea level	at the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs.335/- per month
2	Posted at places situated at a height of 1,000 meters and over but less than 1,500 meters above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as 'Hill Stations' by Central or State Governments for their employees.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.270/- per month

3	Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with height of 1000 meters and over above mean sea level..	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.270/- per month

(vii) in rule 7B, for the letters and figures "Rs120/-" the letters and figure "Rs. 150/-" shall be substituted;

(viii) in rule 7C, for the letters and figures "Rs 200/-," the letters and figure "Rs. 500/-," shall be substituted;

(ix) in rule 9A, for clause (iii) of sub-rule (5) the following clause shall be substituted namely :

"(iii) Any Officer who has joined the services of the corporation after the 22nd June, 2000 shall not be eligible for this increment";

(x) for rule 9B, the following rule shall be substituted, namely :-

"9B Transport Allowance: Every Class I Officer, other than an Officer who is in receipt of any Conveyance Allowance under any of the Schemes of the Corporation, shall be paid Transport Allowance of Rs. 500/- per month.";

(xi) for rule 9(C) the following rule shall be substituted, namely:-

"9C Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI): The Class I Officers of the Corporation shall be paid Productivity Linked Lumpsum Incentive as under :

(i) For the period from the 1st April, 2003 to the 31st March, 2005, one time lumpsum payment of one percent of the wage bill of Class I Officers as on the 1st August, 2002 (pre-revised) shall be paid as ex-gratia in lieu of Productivity Linked Lumpsum Incentive.

(ii) For the period from the 1st April, 2005 to the 31st March, 2009 shall be as specified in the Appendix annexed to these rules:

Provided that though the next wage revision falls due on the 1st August, 2007 the same Productivity Linked Lumpsum Incentive scheme shall be applicable upto Financial Year 2008-2009.";

(xii) for rule 9(D) the following rule shall be substituted, namely:-

"9D Paradeep Port Allowance :

Every Class I officer working in office(s) at Paradeep shall be paid "Paradeep Port Allowance" of Rs.75/- per month with effect from the first of the month following the date of publication of this notification or the date of joining at Paradeep, whichever is later. This allowance shall not rank for any benefits";

(xiii) for the Appendix, the following Appendix shall be substituted, namely :-

Appendix
PRODUCTIVITY LINKED LUMP SUM INCENTIVE SCHEME (PLLI)
(See rule 9C)

Conditions for grant of Productivity Linked Lumpsum Incentive	(1)Grant of Productivity Linked Lumpsum Incentive shall depend upon performance of the Corporation as a whole in the following areas: Growth in New Policies; Growth in First Year Premium Income; Growth in Total Premium Income; Early Claim Ratio; and Growth in Income from Real Estate. (2) The Productivity Linked Lumpsum Incentive will be calculated on Financial Year basis and will depend upon the level of performance achieved by the Corporation on the five parameters as mentioned above.

(3) The Productivity Linked Lumpsum Incentive will be payable only if the achievement of Corporation exceeds the threshold level on Total Premium Income as specified in the Table (1) below.

(4) The calculation of Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be based on the Weighted Average Method which shall be calculated on the five parameters given in item (1) above. The percentage so arrived shall be rounded off to nearest integer. The eligible Productivity Linked Lumpsum Incentive percentage shall be the Productivity Linked Lumpsum Incentive percentage arrived at by applying the Weighted Average Method or the percentage of Productivity Linked Lumpsum Incentive under Total Premium Income whichever is lower.

(5) The following weightage shall be applied:

Parameter	Weightage
(i) Total Premium Income	4
(ii) First Year Premium Income	4
(iii) New Policies	3
(iv) Early Claims Ratio	2
(v) Rental Income	2

(6) Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be payable at the levels of 1%,2%,3%,etc. upto a maximum of 6% of the pre-revised wage bill of Class I Officers as on the 1st August, 2002 depending upon the achievements of the volumes in the above mentioned areas as per the tables appended hereto.

(7) The Total Premium Income and First Year Premium Income for the purpose shall be the premium income on individual assurance policies plus 10% of premium in respect of Jeevan Suraksha and other Individual Pension Plans plus 1.25% of premium in respect of Bima Nivesh ,Jeevan Akshay and other single premium policies,plus 50% of Bima plus , Future plus and like plans and shall exclude Pension and Group Schemes Premium Income.

However a marginal shortfall in any of the five parameters noted above may be condoned by the Chairman.

(8) The amount of Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of wage bill shall depend upon the volumes achieved by the Corporation in the areas against the percentages mentioned for each parameter in the tables below provided the amount of Total Premium Income as specified in Table 1

	First Year Premium Income as specified in Table 2 , number of New Policies as specified in Table 3, Rental Income as specified in Table 4 and Early Claim Ratio as specified in Table 5 Income is not less than the amount of Total Premium Income ,First Year Premium Income ,number of New Policies, Rental Income and Early Claim Ratio, as specified in the respective tables. (9) The Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be distributed as a lump sum annually on or after 1st August each year commencing from the 1st April, 2005 for each Financial Years from 2005-2006 to 2008-2009. (10)The proposed Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be distributed among various classes in the ratio of pre-revised salary bill as on the 1st August, 2002 to the total wage bill of the Corporation. (11) The Corporation shall be empowered to formulate the decentralized performance norms and to frame the terms and conditions of the Productivity Linked Lumpsum Incentive for its employees to finally take it to the branch level. The Board shall within a period of six months from the date of this notification make regulations to take the Productivity Linked Lumpsum Incentive scheme to the Zone or Division or Branch level. (12) The weightage assigned to the parameters shall remain the same as given under item (5).

TABLE 1

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of Total Premium Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	71047	83573	98307	115638
1%	71626	84204	98999	116402
2%	72207	84838	99694	117169
3%	72790	85474	100392	117939
4%	73375	86113	101094	118713
5%	73963	86755	101798	119490
6%	74554	87400	102506	120272

TABLE 2

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of First Year Premium Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	14454	15848	17242	18636
1%	14571	15967	17363	18759
2%	14690	16088	17485	18883
3%	14808	16208	17608	19007
4%	14927	16330	17731	19131
5%	15047	16451	17854	19257
6%	15167	16574	17978	19383

TABLE 3

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum number of new policies required to be achieved			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	31222179	33452923	35683667	37914411
1%	31476446	33705584	35934935	38164723
2%	31731728	33959299	36187299	38416176
3%	31988029	34214075	36440766	38668779
4%	32245357	34469917	36695344	38922540
5%	32503716	34726833	36951039	39177467
6%	32763114	34984829	37207860	39433567

TABLE 4

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of Rental Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	60.58	64.41	68.24	72.07
1%	61.07	64.90	68.72	72.55
2%	61.57	65.38	69.20	73.02
3%	62.07	65.88	69.69	73.50
4%	62.57	66.37	70.17	73.99
5%	63.07	66.86	70.66	74.47
6%	63.57	67.36	71.15	74.96

TABLE 5

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Maximum ratio of Early Death Claims to Total Death Claims			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	26.00%	25.40%	24.80%	24.20%
1%	25.90%	25.30%	24.70%	24.10%
2%	25.80%	25.20%	24.60%	24.00%
3%	25.70%	25.10%	24.50%	23.90%
4%	25.60%	25.00%	24.40%	23.80%
5%	25.50%	24.90%	24.30%	23.70%
6%	25.40%	24.80%	24.20%	23.60%

[F. No. 2(14) Ins. III/2002 (i)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Banking & Insurance)

Note : The principal rules were published vide G.S.R.No.794(E) dated the 11th October, 1985 and subsequently amended vide G.S.R.No.960(E) dated the 7th December, 1987, G.S.R.No.493(E) dated the 22nd April, 1988, G.S.R.No.872(E) dated the 22nd August, 1988, G.S.R.No.711(E) dated the 25th July, 1989, G.S.R.No.816(E) dated the 11th October, 1990, G.S.R.No.324(E) dated the 10th March, 1992, G.S.R.No.53(E) dated the 2nd February, 1994, G.S.R.No.597(E) dated the 30th June, 1995, G.S.R.No.94(E) dated the 16th February, 1996, G.S.R.No.286(E) dated the 18th July, 1996, G.S.R.No.530(E) dated the 27th August, 1998, G.S.R.No.612(E) dated the 30th August, 1999 and G.S.R.No 550 (E) dated the 22nd June, 2000.

Explanatory Memorandum

1. The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Class I Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 560(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण)संशोधन नियम, 2005 है ।

(2) जैसा कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, ये नियम 1 अगस्त, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे :

परन्तु जहां निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीर यदि कोई विकास अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है जिसमें वह इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से अपूर्व और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से इन नियमों के उपबन्धों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, वहां निगम आदेश द्वारा ऐसे अभिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार विकल्पित तारीख से पूर्व की अवधि के लिए उक्त विकास अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

(3) ये नियम उन विकास अधिकारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में तारीख 1 अगस्त, 2002 को पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे :

परन्तु ऐसे विकास अधिकारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन तारीख 1 अगस्त, 2002 और अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के पात्र नहीं होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 में,-

(i) नियम (4) में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) 7440-450(2)-8340-520(2)-9380-540(17)-18560 " ;

(ii) नियम (4) में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (3) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर मूल वेतन में वृद्धि :

कार्य अभिलेख के समाधानपूर्वक पाए जाने के अधीन रहते हुए, ऐसे विकास अधिकारी के जो वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन या उसके मूल्यांकन वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन, उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य-वृद्धि उसके मूल वेतन में अनुदत्त की जाएगी किन्तु ऐसी वृद्धियां अधिकतम तीन होंगी :

परन्तु कोई विकास अधिकारी, ऐसी दूसरी वृद्धि पाने के पश्चात् तीन वर्ष पूरा होने से पूर्व मूल वेतन में ऐसी तीसरी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी विकास अधिकारी को उसके लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन या (वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् मास के ऐसे पहले दिन से या " सुसंगत तारीख " के रूप में निर्दिष्ट तारीख से) उसके मूल वेतन में वृद्धि अनुदत्त नहीं की गई है तो उसका मामला, सुसंगत तारीख से संगणित की जाने वाली सेवा के बारह मास पूर्ण करने के पश्चातवर्ती मास में उस प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में पुनरीक्षण के लिए तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके मूल वेतन में ऐसी वृद्धि अनुज्ञात न की जाए और तत्पश्चात् यदि ऐसी वृद्धि अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमें उस मूल्यांकन वर्ष जिसमें विनिश्चय किया गया है, में पुनरीक्षण किया जाना था ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए " कलैंडर वर्ष " से " 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि " अभिप्रेत है ।

(iii) नियम 5 में, -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :

(क) सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ख) आधार : 1960 = 100 की श्रृंखला में सूचकांक सं0 2328

(ग) दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 2328 प्वांइट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वांइट के लिए विकास अधिकारी को वेतन के 0.18 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ " वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, जिसमें इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित हैं ।

(ख) उपनियम (2) में, " 1740 प्वांइट से ऊपर होने पर 1740-1744-1748-1752 ", शब्दों और अंकों के स्थान पर " 2328 प्वांइट से ऊपर होने पर 2328-2332-2336-2340" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) विकास अधिकारी का, सिवाय उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया हैं, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा :

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i. मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवीं मुम्बई नगर ।	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 1600 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों के सिवाय भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक है, गोवा राज्य में कोई नगर और गांधी नगर	वेतन का 8 प्रतिशत, अधिकतम 1350 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, अधिकतम 1300 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ;

ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां ;

iii) ' वेतन' से मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत है ।

iv) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दर
i. मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवीं मुम्बई नगर ।	वेतन का 3 प्रतिशत, अधिकतम 400 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों के सिवाय नगर जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक है, गोवा राज्य में कोई नगर और गांधी नगर	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 360 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. पांच लाख जनसंख्या वाले नगर और उससे अधिक किन्तु बारह लाख से अधिक नहीं, राज्य की राजधानियां जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक न हो, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला ।	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 300 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकड़े अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ;

(iii) वेतन से मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(vi) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7क. पर्वतीय भत्ता :

विकास अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते के मापमान इस प्रकार होंगे :-

क्रम सं.	स्थान (1)	दर (2)
1.	समुद्र तल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	270 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2.5% की दर पर
2.	समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, मेरकारा पर तथा ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 'पर्वतीय स्थानों' के रूप में घोषित किया गया है ।	210 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2% की दर पर
3.	समुद्र तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्रतल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात हैं ।	210 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2% की दर पर

(viii) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" साम्यापूर्ण अनुतोष - (1) नियम 1 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम विकास अधिकारियों की बाबत 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व की अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि अनुदेशों द्वारा साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में निम्नलिखित रीति में मंजूर कर सकेगा :-

1 अगस्त, 2002 से 31 मार्च, 2003, 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 और 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष विशेष नियमों के अधीन मूल्यांकन वर्ष के प्रयोजनों के लिए वार्षिक पारिश्रमिक के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दर्शित रूप में होगा :-

(i) 1 अगस्त, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का शत प्रतिशत इन नियमों के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् प्रारंभ होने वाले बारह मास की अवधि के मूल्यांकन वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों के भागरूप में होगा, और

(ii) 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का शत प्रतिशत इन नियमों के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् प्रारंभ होने वाले बारह मास की अवधि के मूल्यांकन वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों के भागरूप में होगा, और

(iii) 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का शत प्रतिशत इन नियमों के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् प्रारंभ होने वाले बारह मास की अवधि के मूल्यांकन वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों के भागरूप में होगा, और

स्पष्टीकरण -

(1) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत संबलम उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक परिलब्धियों के भागरूप में होंगे ।

(2) निगम, भारतीय जावन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) नियम, 1960 के नियम 51 के उपनियम (2) के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अगस्त, 2002 या उसके पश्चात् किन्तु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथापुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओं के समाप्त हो जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा और यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निबंधन और शर्तें क्या होंगी :

परन्तु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष नियम के अधीन समाप्त की गई हैं, साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां मूल वेतन इस नियम के अनुसार नियत किया जाता है, वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और भायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे ।

(viii) नियम 10क के उपनियम (5) के खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,-

" (iii) ऐसा कोई विकास अधिकारी जिसने निगम की सेवा में 22 जून, 2000 के पश्चात् कार्यग्रहण किया है, वह इस वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा ।" ;

(ix) नियम 10ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 10ख. उत्पादकता सम्बद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (पीएलएलआई) :-निगम के विकास अधिकारियों को उत्पादकता सम्बद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप से संदत्त किया जाएगा :

(i) तारीख 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए एक बार एकमुश्त संदाय विकास अधिकारियों की मंजूरी बिल का 1 प्रतिशत तारीख 1 अगस्त, 2002 (पूर्व पुनरीक्षित) के अनुसार उत्पादकता सम्बद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के बदले अनुग्रह राशि के रूप में संदत्त किया जाएगा ;

(ii) तारीख 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु यद्यपि अगला मजदूरी पुनरीक्षण 1 अगस्त, 2007 को होगा जिसे वही उत्पादकता सम्बद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम वित्तीय वर्ष 20008-2009 तक लागू होगी ।

टिप्पण : शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि विकास अधिकारी को इस नियम के अधीन संदत्त रकम विशेष नियमों के अधीन उसके वार्षिक पारिश्रमिक और तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगी "।"

(x) नियम ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10 ग. पारादीप पत्तन भत्ता -

पारादीप में कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक विकास अधिकारी को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या पारादीप में सेवा आरम्भ की तारीख से, जो भी बाद में हो, के पश्चात्वर्ती मास की पहली तारीख से 75 रु0 प्रतिमास " पारादीप पत्तन भत्ता " संदत्त किया जाएगा । परन्तु भत्ता किन्हीं फायदों के लिए

पंक्ति में नहीं होगा किन्तु विशेष नियमों के अधीन तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा ।" ;

(xi) परिशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :-

परिशिष्ट

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम (पीएलएलआई)

(नियम 10 देखिए)

<table>
<tr><td>उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के अनुदान के लिए शर्तें</td><td>(1) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का अनुदान निगम के निम्नलिखित क्षेत्रों में समग्र रूप से निष्पादन पर निर्भर करेगा :
नई पालिसियों में वर्धन
प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में वर्धन ;
कुल प्रीमियम आय में वर्धन ;
पूर्व दावा अनुपात ; और
वास्तविक संपदा से आय में वर्धन।

(2) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की संगणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाएगी और निगम द्वारा ऊपर यथा उल्लिखित पांच प्राचलों में प्राप्त निष्पादन के स्तर पर आश्रित होगा ।

(3) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन केवल तभी संदेय होगा जब निगम की उपलब्धियां कुल प्रीमियम आय पर प्रारंभिक स्तरों से अधिक हों जो कि नीचे सारणी (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(4) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की संगणना भारित औसत पद्धति पर आधारित होगी जो ऊपर मद (1) में दिए गए पांच प्राचलों पर संगणित होगा । इस प्रकार प्राप्त प्रतिशतता निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी । पात्र उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन प्रतिशतता भारित औसत पद्धति या कुल प्रीमियम आय के अधीन उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की प्रतिशतता जो भी कम हो लागू करने पर प्राप्त उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन प्रतिशतता होगी ।

(5) निम्नलिखित वरीयता लागू होगी :

<table>
<tr><th>प्राचल</th><th>वरीयता</th></tr>
<tr><td>(i) कुल प्रीमियम आय</td><td>4</td></tr>
<tr><td>(ii) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय</td><td>4</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

(iii) नई पालिसियां	3
(iv) पूर्व दावा अनुपात	2
(v) भाटक आय	2

(6) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1 अगस्त, 2002 को विकास अधिकारियों के पुनरीक्षण पूर्व मजदूरी बिल के अधिकतम 6 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत आदि स्तरों पर संदेय होगा जो इससे उपाबद्ध सारणी के अनुसार ऊपर वर्णित क्षेत्रों में वर्धन दरों की प्राप्ति पर निर्भर करेगा ।

(7) इस प्रयोजन के लिए कुल प्रीमियम आय और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय वैयक्तिक बीमा पालिसियों पर प्रीमियम आय जमा जीवन सुरक्षा और अन्य वैयक्तिक पेंशन योजनाओं की बाबत प्रीमियम का 10 प्रतिशत जमा बीमा निवेश, जीवन अक्षय और अन्य एकल प्रीमियम पालिसियों की बाबत 1.25 प्रतिशत, जमा बीमा जमा, भावी जमा और इसी प्रकार की योजनाओं का 50 प्रतिशत और इसमें पेंशन और समूह स्कीम प्रीमियम आय सम्मिलित नहीं होगी ।

तथापि, ऊपर लिखित पांचों प्राचलों में से किसी में सीमांत कमी को अध्यक्ष द्वारा माफ किया जा सकता है।

(8) मजदूरी बिल के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की रकम निगम द्वारा नीचे सारणियों में प्रत्येक प्राचल के लिए उल्लिखित प्रतिशतताओं के क्षेत्रों में प्राप्त वर्धन की दरों पर निर्भर करेगी । परंतु सारणी 1 में यथा विनिर्दिष्ट कुल प्रीमियम आय, सारणी 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रथम वर्ष प्रीमियम आय, सारणी 3 में यथा विनिर्दिष्ट अनेक नई पालिसियों, सारणी 4 में यथा विनिर्दिष्ट भाटक आय और सारणी 5 में यथा विनिर्दिष्ट आय दावा अनुपात की कुल रकम संबंधित सारणियों में यथा विनिर्दिष्ट कुल प्रीमियम आय, प्रथम प्रीमियम आय, अनेक नई पालिसियों, भाटक आय और पूर्व दावा अनुपात की कुल रकम से कम नहीं होगी ।

(9) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वर्ष 2005-2006 से 2008-2009 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रतिवर्ष एकमुश्त के रूप में वितरित किया जाएगा ।

(10) प्रस्तावित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन और निगम के कुल मजदूरी बिल पर 1 अगस्त, 2002 को पुनरीक्षण पूर्व वेतन बिल के अनुपात में विभिन्न वर्गों में वितरित किया जाएगा ।

(11) निगम को, अंतिम रूप से इसे शाखा स्तर तक ले जाने के लिए उसके कर्मचारियों के लिए विकेन्द्रीकृत निष्पादन संनियम बनाने और उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के निबंधनों और शर्तों को विरचित करने के लिए सशक्त किया जाएगा । बोर्ड इस अधिसूचना की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर जोन या मंडल या शाख स्तर के लिए उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन लेने के लिए विनियम बनाएगा ।

(12) प्राचलों में समनुदेशित वरीयता वही रहेगी जो मद (5) के अधीन दी गई है ।

सारणी 1

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित कुल प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
प्रारंभ	71047	83573	98307	115638
1 %	71628	84204	98999	116402
2 %	72207	84838	99694	117169
3 %	72790	85474	100392	117939
4 %	73375	86113	101094	118713
5 %	73963	86755	101798	119490
6 %	74554	87400	102506	120272

सारणी 2

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रथम वर्ष की आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
प्रारंभ	14454	15848	17242	18636
1 %	14571	15967	17363	18759
2 %	14690	16088	17485	18883
3 %	14808	16208	17608	19007
4 %	14927	16330	17731	19131
5 %	15047	16451	17854	19257
6 %	15167	16574	17978	19383

सारणी 3

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित नई पालिसियों की न्यूनतम संख्या (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
प्रारंभ	31222179	33452923	35683667	37914411
1 %	31476446	33705584	35934935	38164723
2 %	31731728	33959299	36187299	38416176
3 %	31988029	34214075	36440766	38668779
4 %	32245357	34469917	36695344	38922540

5 %	32503716	34726833	36951039	39177467
6 %	32763114	34984829	37207860	39433567

सारणी 4

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित भाटक आय की न्यूनतम संख्या (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
प्रारंभ	60.58	64.41	68.24	72.07
1 %	61.07	64.90	68.72	72.55
2 %	61.57	65.38	69.20	73.02
3 %	62.07	65.88	69.69	73.50
4 %	62.57	66.37	70.17	73.99
5 %	63.07	66.86	70.66	74.47
6 %	63.57	67.36	71.15	74.96

सारणी 5

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	कुल मृत्यु दावों के प्रति पूर्व मृत्यु दावों का अधिकतम अनुपात			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
प्रारंभ	26.00%	25.40%	24.80%	24.20%
1 %	25.90%	25.30%	24.70%	24.10%
2 %	25.80%	25.20%	24.60%	24.00%
3 %	25.70%	25.10%	24.50%	23.90%
4 %	25.60%	25.00%	24.40%	23.80%
5 %	25.50%	25.90%	24.30%	23.70%
6 %	25.40%	25.80%	24.20%	23.60%

[फा. सं. 2(14) बीमा-3/2002 (ii)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एण्ड इंश्योरेंस)

टिप्पण:- मूल नियम सा0का0नि0 सं0 109(अ) तारीख 17 सितंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा0का0नि0 सं0 962(अ) तारीख 7 दिसंबर, 1987, सा0का0नि0 सं0 871(अ) तारीख 22 अगस्त, 1988, सा0का0नि0 सं0 968(अ) तारीख 7 नवम्बर,1989, सा0का0नि सं0 825(अ) तारीख 9 अक्तूबर, 1990, सा0का0नि0 सं0 55(अ) तारीख 21 जनवरी, 1992, सा0का0नि0 सं0 325(अ) तारीख 10 मार्च, 1992, सा0का0नि0 सं0 54(अ) तारीख 2 फरवरी, 1994, सा0का0नि0 596(अ) तारीख 30 जून, 1995, सा0का0नि0 सं0 95(अ) तारीख 16 फरवरी, 1996, सा0का0नि0 287(अ) तारीख 18 जुलाई, 1996, सा0का0नि0 सं0 531(अ)तारीख 27 अगस्त, 1998 और सा0का0नि0 सं0 551(अ) तारीख 22 जून, 2000 द्वारा संशोधित किए गए ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है । तद्नुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का संशोधन किया जा रहा है ।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2005

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules. 1986, namely:-

1. Short title, commencement and application.- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers(Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2005.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2002:

Provided that where any Development Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such Development Officer.

(3) These rules shall be applicable to those Development Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2002:

Provided that the Development Officers whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2002 and the date of publication of this

notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986,-

(i) in rule 4, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) 7440 - 450(2) - 8340 - 520 (2) - 9380 – 540 (17) - 18560";

(ii) in rule 4, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Addition to the Basic Pay after reaching maximum of the scales:-

Subject to the work record being found satisfactory a Development Officer who has reached the maximum of the scale of pay, may be granted an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him, on first day of the month following completion of every three completed years of service after reaching such a maximum or on the first day of the month following the completion of his appraisal year subject to the maximum of three such additions:

Provided that no Development Officer shall be entitled to the third such addition to the basic pay before completion of three years after drawing the second such addition:

Provided further that where a Development Officer is not granted such addition to the basic pay on first day of the month following completion of three years of service or after drawing such additions, (such first day of the month following completion of three years of service from the date of reaching maximum of the scale of pay or after drawing of such additions referred to as "the relevant date"), his case shall fall due for review in each appraisal year in the month following that in which he completes twelve months of service as reckoned from the relevant date, so long as he has not been allowed such addition to the basic pay, and if it is decided to allow the such addition subsequently, it shall take effect from the first of the month in which the review has fallen due in the appraisal year in which the decision is taken.

Explanation .- For the purposes of this rule 'calendar year' means the period from the 1st day of January to the 31st day of December";

(iii) in rule 5, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scale of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under:

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No.2328 in the series 1960=100.

(c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 2328 points, a Development Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.18 % of Pay.

Explanation .- For the purposes of this rule, "Pay" means basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under sub-rule (3) of rule 4 of these rules.":

(b) in sub-rule(2), for the figures and word "1740 points" in the sequence "1740-1744-1748-1752 " the figures and word "2328 points" in the sequence of "2328-2332-2336-2340" shall be substituted;

(iv) in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The House Rent Allowance of Development Officers except those who are allotted residential accommodation by the Corporation shall be as under:

Place of posting	Rate of House Rent Allowance
i. Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	10% of Pay, subject to the maximum of Rs.1600/- per month
ii. Cities with population exceeding twelve lakhs, except those mentioned at (i) ,Gandhinagar and any city in the State of Goa	8% of Pay,subject to the maximum of Rs. 1350/- per month.
iii. Other places.	7% of Pay.subject to the maximum of Rs. 1300/- per month

Note : for the purpose of this rule,

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations;

(iii) 'pay' means basic pay, additions to basic pay and Fixed Personal Allowance.":

(v) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. City Compensatory Allowance:

Place of posting	Rate of CCA
i. Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	3% of Pay, subject to maximum of Rs.400/-p.m.
ii. Cities with population exceeding twelve lakhs except those mentioned at i Gandhinagar and any city in the State of Goa.	2.5% of Pay, subject to maximum of Rs.360/-per month
iii. Cities with population of five lakhs and above but not exceeding twelve lakhs, State Capitals with population not exceeding twelve lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair and Panchkula.	2 % of Pay, subject to maximum of Rs.300/-per month.

Note : for the purposes of this rule,

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their agglomerations;

(iii) pay means Basic Pay. Additions to Basic Pay.";

(vi) for rule 7A, the following rule shall be substituted, namely :-

"7A Hill Allowance :-

The scales of Hill Allowance payable to Development Officers shall be as follows :-

Serial Number	Places (1)	Rates (2)
1	Posted at placed situated at a height of 1,500 meters and over above mean sea level	at the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs.270/- per month
2	Posted at places situated at a height of 1,000 meters and over but less than 1,500 meters above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as 'Hill Stations' by Central or State Governments for their employees.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.210/- per month
3	Posted at places situated at a height of not less than 750	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of

	meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with height of 1000 meters and over above mean sea level..	Rs.210/- per month

(vii) for rule 10, the following rule shall be substituted, namely :-

"10. Equitable Relief :- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, the Corporation may, in respect of Development Officers, by instructions, provide for grant of arrears of salary for the period prior to the 1st April, 2005 by way of equitable relief in the following manner :-

The equitable relief paid for the period from the 1st August, 2002 to the 31st March, 2003, from the 1st April, 2003 to the 31st March, 2004 and the 1st April, 2004 to the 31st March, 2005 for the purpose of arriving at the annual remuneration for the purpose of appraisal year under the special rules shall be as shown below :-

(i) 100% of the equitable relief paid for the period the 1st August, 2002 to the 31st March, 2003 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year commencing immediately after the date of publication of these rules, and

(ii) 100% of the equitable relief paid for the period the 1st April, 2003 to the 31st March, 2004 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year of twelve months period following the first mentioned period of twelve months, and

(iii) 100% of the equitable relief paid for the period the 1st April, 2004 to the 31st March, 2005 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year of twelve months period following the second mentioned period of twelve months;

Explanation .-

(1) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on the 1st April, 2005 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(2) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under sub-rule(2) of rule 51 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after the 1st August, 2002 but before the date

of publication of this notification in the Official Gazette, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payments by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and conditions thereof ;

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the special rules.

(3) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowances and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation.";

(viii) in rule 10A, in sub-rule (5) for clause (iii) the following clause shall be substituted, namely :-

"(iii) Any Development Officer who has joined the services of the corporation after the 22nd June, 2000 shall not be eligible for this increment.";

(ix) for rule 10B, the following rule shall be substituted.-

"10B. Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI): The Development Officers of the Corporation shall be paid Productivity Linked Lumpsum Incentive as under :

(i) For the period from the 1st April, 2003 to the 31st March, 2005, one time lumpsum payment of 1% of the wage bill of Development Officers as on the 1st August, 2002 (pre-revised) shall be paid as ex-gratia in lieu of Productivity Linked Lumpsum Incentive;

(ii) For the period from the 1st April, 2005 to the 31st March, 2009 shall be as specified in the Appendix annexed to these rules.

Provided that though the next wage revision falls due on the 1st August, 2007 the same Productivity Linked Lumpsum Incentive scheme shall be applicable upto Financial Year 2008-2009.

Note : For the removal of doubts, it is clarified that the amount paid under this rule to the Development Officer shall form part of his annual remuneration and ad-hoc annual remuneration under the special rules.";

(x) for rule 10 C the following rule shall be substituted, namely:-

"10C Paradeep Port Allowance -

Every Development Officer working in office(s) at Paradeep shall be paid "Paradeep Port Allowance" of Rs.75/- per month with effect from the first of the month following the date of this notification or the date of joining at Paradeep, whichever is later. This allowance shall not rank for any benefits but shall form part of the adhoc annual remuneration and annual remuneration under the special rules.";

(xi) for the Appendix the following Appendix shall be substituted, namely :-

Appendix

PRODUCTIVITY LINKED LUMP SUM INCENTIVE SCHEME (PLLI)
(See rule 10B)

Conditions for grant of Productivity Linked Lumpsum Incentive	(1)Grant of Productivity Linked Lumpsum Incentive shall depend upon performance of the Corporation as a whole in the following areas: Growth in New Policies; Growth in First Year Premium Income; Growth in Total Premium Income; Early Claim Ratio; and Growth in Income from Real Estate. (2) The Productivity Linked Lumpsum Incentive will be calculated on Financial Year basis and will depend upon the level of performance achieved by the Corporation on the five parameters as mentioned above. (3) The Productivity Linked Lumpsum Incentive will be payable only if the achievement of Corporation exceeds the threshold level on Total Premium Income as specified in the Table (1) below. (4) The calculation of Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be based on the Weighted Average Method which shall be calculated on the five parameters given in item (1) above. The percentage so arrived shall be rounded off to nearest integer. The eligible Productivity Linked Lumpsum Incentive percentage shall be the Productivity Linked Lumpsum Incentive percentage arrived at by

applying the Weighted Average Method or the percentage of Productivity Linked Lumpsum Incentive under Total Premium Income whichever is lower.

(5) The following weightage shall be applied:

Parameter	Weightage
(i) Total Premium Income	4
(ii) First Year Premium Income	4
(iii) New Policies	3
(iv) Early Claims Ratio	2
(v) Rental Income	2

(6) Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be payable at the levels of 1%,2%,3%,etc. upto a maximum of 6% of the pre-revised wage bill of Development Officers as on the 1st August, 2002 depending upon the achievements of the volumes in the above mentioned areas as per the tables appended hereto.

(7) The Total Premium Income and First Year Premium Income for the purpose shall be the premium income on individual assurance policies plus 10% of premium in respect of Jeevan Suraksha and other Individual Pension Plans plus 1.25% of premium in respect of Bima Nivesh ,Jeevan Akshay and other single premium policies,plus 50% of Bima plus , Future plus and like plans and shall exclude Pension and Group Schemes Premium Income.

However a marginal shortfall in any of the five parameters noted above may be condoned by the Chairman.

(8) The amount of Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of wage bill shall depend upon the volumes achieved by the Corporation in the areas against the percentages mentioned for each parameter in the tables below provided the amount of Total Premium Income as specified in Table 1 First Year Premium Income as specified in Table 2 , number of New Policies as specified in Table 3, Rental Income as specified in Table 4 and Early Claim Ratio as specified in Table 5 Income is not less than the amount of Total Premium Income ,First Year Premium Income ,number of New Policies, Rental Income and Early Claim Ratio, as specified in the respective tables.

(9) The Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be distributed as a lump sum annually on or after 1st August each year commencing from the 1st April, 2005 for each Financial Years from 2005-2006 to 2008-2009.

	(10)The proposed Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be distributed among various classes in the ratio of pre-revised salary bill as on the 1st August, 2002 to the total wage bill of the Corporation. (11) The Corporation shall be empowered to formulate the decentralized performance norms and to frame the terms and conditions of the Productivity Linked Lumpsum Incentive for its employees to finally take it to the branch level. The Board shall within a period of six months from the date of this notification make regulations to take the Productivity Linked Lumpsum Incentive scheme to the Zone or Division or Branch level. (12) The weightage assigned to the parameters shall remain the same as given under item (5).

TABLE 1

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of Total Premium Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	71047	83573	98307	115638
1%	71626	84204	98999	116402
2%	72207	84838	99694	117169
3%	72790	85474	100392	117939
4%	73375	86113	101094	118713
5%	73963	86755	101798	119490
6%	74554	87400	102506	120272

TABLE 2

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of First Year Premium Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	14454	15848	17242	18636
1%	14571	15967	17363	18759
2%	14690	16088	17485	18883
3%	14808	16208	17608	19007
4%	14927	16330	17731	19131
5%	15047	16451	17854	19257
6%	15167	16574	17978	19383

TABLE 3

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum number of new policies required to be achieved			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	31222179	33452923	35683667	37914411
1%	31476446	33705584	35934935	38164723
2%	31731728	33959299	36187299	38416176
3%	31988029	34214075	36440766	38668779
4%	32245357	34469917	36695344	38922540
5%	32503716	34726833	36951039	39177467
6%	32763114	34984829	37207860	39433567

TABLE 4

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of Rental Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	60.58	64.41	68.24	72.07
1%	61.07	64.90	68.72	72.55
2%	61.57	65.38	69.20	73.02
3%	62.07	65.88	69.69	73.50
4%	62.57	66.37	70.17	73.99
5%	63.07	66.86	70.66	74.47
6%	63.57	67.36	71.15	74.96

TABLE 5

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Maximum ratio of Early Death Claims to Total Death Claims			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	26.00%	25.40%	24.80%	24.20%
1%	25.90%	25.30%	24.70%	24.10%
2%	25.80%	25.20%	24.60%	24.00%
3%	25.70%	25.10%	24.50%	23.90%

4%	25.60%	25.00%	24.40%	23.80%
5%	25.50%	24.90%	24.30%	23.70%
6%	25.40%	24.80%	24.20%	23.60%

[F. No. 2(14) Ins. III/2002 (ii)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Banking & Insurance)

Note : The principal rules were published vide G.S.R. No.1091(E) dated the 17th September, 1986 and subsequently amended vide G.S.R. No.962(E) dated the 7th December, 1987, G.S.R. No.871(E) dated the 22nd August,1988, G.S.R. No.968(E) dated the 7th November, 1989, G.S.R. No.825(E) dated the 9th October, 1990, G.S.R. No.55(E) dated the 21st January, 1992, G.S.R. No.325(E) dated the 10th March, 1992, G.S.R. No.54(E) dated the 2nd February, 1994, G.S.R. No.596(E) dated the 30th June, 1995, G.S.R. No.95(E) dated the 16th February, 1996, G.S.R. No.287(E) dated the 18th July, 1996, G.S.R. No.531(E) dated the 27th August, 1998 and G.S.R.No. 551(E) dated the 22nd June, 2000.

Explanatory Memorandum

1. The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Development Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 561(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है ।

(2) इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ये नियम 1 अगस्त, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे :

परंतु जहां कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी, उस तारीख से जो उस तारीख से पूर्व की नहीं होगी जिसको उक्त नियम प्रवर्तन में आते हैं और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद की नहीं होगी, इन नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होने के अपने विकल्प को व्यक्त करते हुए निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निगम को लिखित में एक सूचना देगा, तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे कर्मचारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुमति दे सकेगा और इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा ।

(3) ये नियम उन वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1 अगस्त, 2000 को या उसके पश्चात् निगम के स्थायी स्थापन में पूर्ण कालिक वैतनिक सेवा में थे :

परंतु ऐसे वर्ग 3 या वर्ग 4 के कर्मचारी जिसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या 1 अगस्त, 2002 से भारत के राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, पुनरीक्षण मद्दे बकायों का पात्र नहीं होगा ।

(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई कर्मचारी उन अतिकालिक मजदूरियों से जिनके लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व वह हकदार था, अधिक अतिकालिक मजदूरी का दावा करने का हकदार नहीं बनेगा ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम 1985 में,--

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 4. वर्ग 3 के कर्मचारियों के वेतनमान : -

(1) वर्ग 3 के कर्मचारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे :-

उच्चतर श्रेणी सहायक :	7370-485(3)-8825-540(15)-16925 रु.
अनुभाग अध्यक्ष :	6490-410(7)-9360-540(12)-15840 रु.
आशुलिपिक :	6250-350(4)-7650-405(2)-8460-490(3)-9930-510(2)-10950-540(8)-15270 रु.
सहायक, गृहीता और संदायकर्ता रोकड़िया प्रोजेक्सनिस्ट तथा माइक्रोप्रोसेसर प्रचालक :	4995-285(1)-5280-310(2)-5900-350(5)-7650-405(2)-8460-490(3)-9930-510(2)-10950-540(5)-11650 रु.
अभिलेख लिपिक :	4665-165(4)-5325-250(3)-6075-285(2)-6645-290(6,-8385-310(6)-10245 रु.

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रवर्ग के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे :-

(अ) उच्चतर श्रेणी सहायक जो आंतरिक लेखा परीक्षा सहायकों के रूप में नियुक्त किए गए हैं --

(क) प्रथम पांच वर्ष के लिए - 480रु. प्रति मास

(ख) आगामी पांच वर्ष के लिए - 545रु. प्रति मास

(ग) पश्चातवर्ती वर्षों के लिए - 590 रु. प्रति मास

(आ) सहायक जो गृहीता और संदायकर्ता रोकड़िया के रूप में नियुक्त किए गए हैं - 515 रु. प्रति मास ;

जिसे महंगाई भत्ते, भविष्य निधि, उपदान, मकान किराए भत्ते, पेंशन, विशेषाधिकार छुट्टी को भुनाने के लिए और 31 जुलाई, 2007 तक प्रोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए संगणना के प्रयोजन हेतु गणना में लिया जाएगा :

परंतु उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 1 अगस्त, 2002 और 31 जुलाई, 2007 के बीच प्रोन्नत किया गया है, भत्ते की पूर्व पुनरीक्षित दर को प्रोन्नति पर नियतन के लिए गणना में लिया जाएगा :

परंतु यह और कि 31 जुलाई, 2007 के पश्चात् इस भत्ते को महंगाई भत्ते, भविष्य निधि, उपदान, मकान किराया भत्ते, पेंशन, विशेषाधिकार छुट्टी के भुगतान की संगणना के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा और इसे प्रोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए भी गणना में नहीं लिया जाएगा ।

(3) वृत्तिमूलक भत्ता वर्ग 3 काडर के कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को संदत्त किया जाएगा,--

(क) बांडा और डुप्लीकेटिंग और जिरौक्स मशीन प्रचालक जो अभिलेख लिपिक के वेतनमान में हैं - 60 रु. प्रतिमास

(ख) माइक्रोप्रोसेसर प्रचालक जो सहायकों के वेतनमान में हैं - 120 रु. प्रतिमास

(ग) प्रोग्रामर जो उच्चतर श्रेणी सहायकों के वेतनमान में हैं - 400 रु. प्रतिमास

परंतु विद्यमान वर्ग 3 का कर्मचारी जो 31 जुलाई, 2002 को कोई वृत्तिमूलक भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसे तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिस पर वृत्तिमूलक भत्ता मिलता है, भविष्य में मजदूरी के पुनरीक्षण पर आमेलित कर लिया जाएगा ।";

(ii) नियम 6 में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) वर्ग 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे :-

ड्राइवर :	4665-205(6)-5895-210(1)-6105-250(12)-9105 रु.
सिपाही, हमाल, प्रधान चपरासी, लिफ्ट मैन तथा चौकीदार :	4105-165(5)-4930-175(8)-6330-205(1)-6535-210(3)-7165-250(2)-7665 रु.
झाड़ूकस और सफाईवाले :	3905-165(5)-4730-175(9)-6305-205(5)-7330रु.";

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त,-

(क) निम्नलिखित प्रवर्ग के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे जिसे सभी प्रयोजनों के लिए मूल वेतन के रूप में गिना जाएगा :

प्रधान चपरासी, लिफ्टमैन और चौकीदार - 305 रु. प्रतिमास

(ख) फ्रैन्किंग मशीन प्रचालकों को जो सिपाही के वेतनमान में हैं, 45 रु. प्रतिमास का वृत्तिमूलक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।";

(iii) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7. वेतनमानों में अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धि : कार्य अभिलेख के संतोषजनक पाए जाने के अधीन रहते हुए -

(क) किसी कर्मचारी को,--

(i) जो वर्ग 3 के अभिलेख लिपिक या सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में है ; या

(ii) जो वर्ग 4 के किसी वेतनमान में है,

और जो उसे लागू वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंच जाने के पश्चात् पूरे किए गए सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए उस वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर एक और वेतनवृद्धि अनुदत्त की जा सकती है किन्तु ऐसी वेतनवृद्धियां अधिक से अधिक छह हो सकेंगी :

परंतु कोई भी कर्मचारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात्, यथास्थिति, दो वर्ष के पूरा होने के अगले मास की पहली तारीख से पूर्व या ऐसी वृद्धियां प्राप्त करने के पश्चात्, मूल वेतन में ऐसी वृद्धि का हकदार नहीं होगा ।

(ख) अनुभाग अध्यक्ष और उच्चतर श्रेणी सहायक के वेतनमान में किसी कर्मचारी को जो वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा में पूरे किए गए प्रत्येक तीन वर्ष के लिए मूल वेतन में उसके वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वृद्धि के बराबर वृद्धि, अधिक से अधिक ऐसी पांच वृद्धियों के अधीन रहते हुए अनुदत्त की जा सकेगी :

परंतु कोई भी कर्मचारी, यथास्थिति, वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष पूरा होने के अगले मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि का हकदार नहीं होगा :

परंतु यह और कि जहां किसी कर्मचारी को उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से या उसके मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि से (यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि की तारीख से सेवा के दो वर्ष या तीन वर्ष पूरा होने के अगले मास के ऐसे पहले दिन को इसमें इसके पश्चात् "सुसंगत तारीख" कहा गया है), यथास्थिति, सेवा के दो वर्ष या तीन वर्ष पूरा होने के अगले मास के पहले दिन खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट मूल वेतन में ऐसी वृद्धि अनुदत्त नहीं की जाती है वहां उसका मामला प्रत्येक कलेंडर वर्ष के उस मास के, जिसमें वह सुसंगत तारीख से या ऐसे पुनर्विलोकन की तारीख से गणना में लिए गए उस वर्ष में सेवा के बारह मास पूरा करता है, ठीक आगामी मास में पुनरीक्षण के योग्य हो जाएगा, जब तक कि उसे वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं कर दी जाती, और यदि वेतन वृद्धि मंजूर कर ली जाती है तो ऐसी वेतन वृद्धि उस मास की प्रथम तारीख से प्रभावी होगी जिसमें उस कलेंडर वर्ष में जिसमें कि वृद्धि देने का विनिश्चय किया जाता है, उसका मामला पुनरीक्षण योग्य हो जाता है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए ' कलेंडर वर्ष' से 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक का वर्ष अभिप्रेत है ।" ।

(iv) नियम 8 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :-

(क) सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ख) आधार : 1960 की क्रम में सूचकांक सं. 2328 = 100 ।

(ग) दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 2328 प्वाइंट से ऊपर तिमाही औसत में प्रत्येक चार प्वाइंटों के लिए, वर्ग 3 या वर्ग 4 के कर्मचारी को वेतन के 0.18% की दर से महंगाई भत्ता संदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए " वेतन" से अभिप्रेत है -

(i) मूल वेतन ;

(ii) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन में वृद्धियां ;

(iii) नियम 4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ;

(iv) नियम 6 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ;

(v) नियम 19क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता ; और

(vi) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ।";

(ख) उपनियम (2) में " 1740-1744-1748-1752 के क्रम में 1740 प्वाइंट्स" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2328-2332-2336-2340 के क्रम में 2328 प्वाइंट्स" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(v) नियम 9 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों, उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें निगम द्वारा आवास आबंटित किया गया है, का मकान किराया भत्ता इस प्रकार होगा :-

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ता की दर
i. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवी मुंबई नगर ।	1600 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए वेतन का
और नवी मुंबई नगर ।	10%
ii. ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, (i) पर वर्णित नगरों को छोड़कर, गांधीनगर और गोवा राज्य का कोई नगर	1350 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए वेतन का 8%
iii. अन्य स्थान	1300 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए वेतन का 7%

टिप्पण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकड़े अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ;

(ii) नगरों में उनकी शहरी जनसंख्या सम्मिलित होगी ;

(iii) " वेतन" से अभिप्रेत है -

(क) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन में वृद्धियों सहित मूल वेतन ;

(ख) नियम 4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ;

(ग) नियम 6 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ;

(घ) नियम 19क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता ; और

(ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ।";

(च) नियम 19घ के अधीन उपबंधित नियत निजी भत्ता ।";

(vi) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता इस प्रकार होगा :-

तैनाती का स्थान	सीसीए की दर
i. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवी मुंबई नगर ।	160 रु. प्रति मास की न्यूनतम और 370 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए वेतन का 3%
ii. ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, (i) पर वर्णित नगरों को छोड़कर, गांधीनगर और गोवा राज्य का कोई नगर	135 रु. प्रति मास की न्यूनतम और 340 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5%
iii. ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या पांच लाख और उससे अधिक है किन्तु बारह लाख से कम है, ऐसे राजधानियां जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला ।	100 रु. प्रति मास की न्यूनतम और 270 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए वेतन का 2%

परंतु जहां कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी 1 अप्रैल, 1983 से ठीक पूर्व नगर प्रतिकरात्मक भत्ता के रूप में 20 रु. प्रतिमास की रकम प्राप्त कर रहा है वहां ऐसा कर्मचारी भविष्य में मजदूरी पुनरीक्षण में आमेलित किए जाने के लिए उक्त रकम तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उसी स्थान पर तैनात रहता है ।" ।

टिप्पण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकड़े अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ;

(ii) नगरों में उनकी शहरी जनसंख्या सम्मिलित होगी ;

(iii) "वेतन" से वर्ग 4 के कर्मचारियों को संदेय मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और विशेष भत्तां अभिप्रेत है ।

(vii) नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

" 11. पर्वतीय स्थान भत्ता : वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता के मापमान इस प्रकार होंगे ।

क्रम सं.	स्थान (1)	दर (2)
1.	समुद्रतल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	270 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2.5% की दर पर
2.	समुद्रतल से 1000 मीटर या उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, मेरकारा पर तथा ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 'पर्वतीय स्थानों' के रूप में घोषित किया गया है ।	210 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2% की दर पर
3.	समुद्रतल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्रतल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात	210 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2% की दर पर

(viii) नियम 13क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 13क. उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (पीएलएलआई) : निगम के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का संदाय इस प्रकार किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए 1 अगस्त, 2002 को वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों की मजदूरी बिल के (पूर्व पुनिरीक्षित) 1 % का एक बार एकमुश्त संदाय उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के बदले अनुग्रह राशि के रूप में किया जाएगा ;

(ii) 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट रूप में होगा :

परंतु यद्यपि अगला मजदूरी पुनरीक्षण 1 अगस्त, 2007 को शोध्य हो गया है फिर भी उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की स्कीम वित्तीय वर्ष 2008 - 2009 तक लागू होगी ।

(ix) नियम 19क के उपनियम (ख) में,-

(i) खंड (i) में " 150रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर " 210रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) के उपखंड (क) में "250रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर "350रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ii) के उपखंड (ख) में "125रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर "175रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (ii) के उपखंड (ग) में "250रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर "350रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(v) निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे,-

" परंतु वे कर्मचारी जो इन नियमों के अधीन स्नातक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, यह फायदा प्राप्त करते रहेंगे :

परंतु यह और कि वे कर्मचारी जो 31 जुलाई, 2007 के पश्चात् स्नातक होंगे, इन नियमों के अधीन स्नातक भत्ते के पात्र नहीं होंगे ।"

(x) नियम 19घ के उपनियम (4) में खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) ऐसा कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी, जो निगम की सेवाओं में 22जून, 2000 के पश्चात् सम्मिलित हुआ है, इस वृद्धि का पात्र नहीं होगा ।";

(xi) नियम 19ङ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 19ङ. परिवहन भत्ता - वर्ग 3 या वर्ग 4 के प्रत्येक कर्मचारी को, अस्थायी आधार पर नियुक्त कर्मचारी से भिन्न, 75 रुपए प्रति मास की दर से परिवहन भत्ता का संदाय किया जाएगा ।";

(xii) नियम 19च के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 19च. पारादीप पत्तन भत्ता - पारादीप कार्यालय/कार्यालयों में कार्यरत वर्ग 3 और वर्ग 4 के प्रत्येक कर्मचारी को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या पारादीप में पदभार संभालने की तारीख, इनमें से जो भी बाद की हो, के अगले मास की पहली तारीख से 75 रुपए प्रतिमास का " पारादीप पत्तन भत्ता" संदाय किया जाएगा । यह भत्ता किन्हीं फायदों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।";

(xiii) परिशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखी जाएगी, अर्थात् :-

" परिशिष्ट

उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम (पीएलएलआई)

(नियम 13क देखिए)

उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के अनुदान के लिए शर्तें	(1) उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का अनुदान निगम के निम्नलिखित क्षेत्रों में समग्र रूप से निष्पादन पर निर्भर करेगा : नई पालिसियों में वृद्धि प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय में वृद्धि कुल प्रीमियम आय में वृद्धि पूर्व दावों का अनुपात ; और पूर्णस्वामिक स्थावर संपदा से आय में वृद्धि (2) उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष के आधार पर संगणित किया जाएगा और निगम द्वारा ऊपर यथा उल्लिखित पांच परिमापों पर प्राप्त निष्पादन के स्तर पर आधारित होगा । (3) उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन केवल तभी संदेय होगा जब निगम की उपलब्धियां कुल प्रीमियम आय पर प्रारंभिक स्तरों से अधिक हों जो कि नीचे सारणी (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(4) उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की संगणना भारित औसत पद्धति पर आधारित होगी जो ऊपर मद (1) में दिए गए पांच परिमापों पर संगणित होगा । इस प्रकार प्राप्त प्रतिशतता निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी । पात्र उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन भारित औसत पद्धति या कुल प्रीमियम आय के अधीन उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की प्रतिशतता जो भी कम हो लागू करने पर प्राप्त उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन प्रतिशतता होगी ।

(5) निम्नलिखित वरीयता लागू होगी :

परिमाप	वरीयता
(i) कुल प्रीमियम आय	4
(ii) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय	4
(iii) नई पालिसियां	3
(iv) पूर्व दावों का अनुपात	2
(v) भाटक आय	2

(6) उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1 अगस्त, 2002 को वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के पुनरीक्षण पूर्व मजदूरी बिल के अधिकतम 6 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत आदि स्तरों पर संदेय होगा जो इससे उपाबद्ध सारणी के अनुसार ऊपर वर्णित क्षेत्रों में उपलब्धियों की मात्रा पर निर्भर करेगा ।

(7) इस प्रयोजन के लिए कुल प्रीमियम आय और प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय, वैयक्तिक बीमा पालिसियों पर प्रीमियम आय तथा जीवन सुरक्षा और अन्य वैयक्तिक पेंशन योजनाओं की बाबत प्रीमियम का 10 प्रतिशत तथा बीमा निवेश, जीवन अक्षय और अन्य एकल प्रीमियम पालिसियों की बाबत 1.25 प्रतिशत, तथा बीमा जमा, भावी जमा और इसी प्रकार की योजनाओं का 50 प्रतिशत होगी और इसमें पेंशन और समूह स्कीम प्रीमियम आय सम्मिलित नहीं होगी ।

तथापि, ऊपर लिखित पांचों परिमापों में से किसी में सीमांत कमी को अध्यक्ष द्वारा माफ किया जा सकता है।

(8) मजदूरी बिल के निबंधनों के अनुसार उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की रकम निगम द्वारा नीचे सारणियों में प्रत्येक परिमाप के लिए उल्लिखित प्रतिशतताओं के विरुद्ध क्षेत्रों में प्राप्त वृद्धि की दरों पर निर्भर करेगी । परंतु सारणी 1 में यथा विनिर्दिष्ट कुल प्रीमियम आय, सारणी 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय, सारणी 3 में यथा विनिर्दिष्ट अनेक नई पालिसियों, सारणी 4 में यथा विनिर्दिष्ट भाटक आय और सारणी 5 में यथा विनिर्दिष्ट पूर्व दावों के अनुपात की रकम संबंधित सारणियों में यथा विनिर्दिष्ट कुल प्रीमियम आय, प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय, नई पालिसियों की संख्या, भाटक आय और पूर्व दावों के अनुपात की कुल रकम से कम नहीं है ।

(9) उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 2005-2006 से 2008-2009 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष के 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रतिवर्ष एकमुश्त के रूप में वितरित किया जाएगा ।

	(10) प्रस्तावित उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निगम के कुल मजदूरी बिल पर 1 अगस्त, 2002 को पुनरीक्षण पूर्व वेतन बिल के अनुपात में विभिन्न वर्गों में वितरित किया जाएगा । (11) निगम को, अंतिम रूप से इसे शाखा स्तर तक ले जाने के लिए उसके कर्मचारियों के लिए विकेन्द्रीकृत निष्पादन संनियम बनाने और उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के निबंधनों और शर्तों को विरचित करने के लिए सशक्त किया जाएगा । बोर्ड इस अधिसूचना की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर जोन या मंडल या शाखा स्तर के लिए उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन लेने के लिए विनियम बनाएगा । (12) परिभाषों में समनुदेशित वरीयता वही रहेगी जो मद (5) के अधीन दी गई है ।

सारणी 1

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित कुल प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	71047	83573	98307	115638
1 %	71626	84204	98999	116402
2 %	72207	84838	99694	117169
3 %	72790	85474	100392	117939
4 %	73375	86113	101094	118713
5 %	73963	86755	101798	119490
6 %	74554	87400	102506	120272

सारणी 2

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	14454	15848	17242	18636
1 %	14571	15967	17363	18759
2 %	14690	16088	17485	18883
3 %	14808	16208	17608	19007
4 %	14927	16330	17731	19131
5 %	15047	16451	17854	19257
6 %	15167	16574	17978	19383

सारणी 3

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित नई पालिसियों की न्यूनतम संख्या			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	31222179	33452923	35683667	37914411
1 %	31476446	33705584	35934935	38164723
2 %	31731728	33959299	36187299	38416176

3 %	31988029	34214075	36440766	38668779
4 %	32245357	34469917	36695344	38922540
5 %	32503716	34726833	36951039	39177467
6 %	32763114	34984829	37207860	39433567

सारणी 4

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित भाटक आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	60.58	64.41	68.24	72.07
1 %	61.07	64.90	68.72	72.55
2 %	61.57	65.38	69.20	73.02
3 %	62.07	65.88	69.69	73.50
4 %	62.57	66.37	70.17	73.99
5 %	63.07	66.86	70.66	74.47
6 %	63.57	67.36	71.15	74.96

सारणी 5

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	कुल मृत्यु दावों से पूर्व मृत्यु दावों का अधिकतम अनुपात			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	26.00%	25.40%	24.80%	24.20%
1 %	25.90%	25.30%	24.70%	24.10%
2 %	25.80%	25.20%	24.60%	24.00%
3 %	25.70%	25.10%	24.50%	23.90%
4 %	25.60%	25.00%	24.40%	23.80%
5 %	25.50%	25.90%	24.30%	23.70%
6 %	25.40%	25.80%	24.20%	23.60%

[फा. सं. 2(14) बीमा-3/2002(iii)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एण्ड इंश्योरेंस)

टिप्पण :—मूल नियम सा0का0नि0 सं0 357(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा0का0नि0 सं0 18(अ) तारीख 7 जनवरी, 1986, सा0का0नि0 सं0 1076(अ) तारीख 11 सितम्बर, 1986, सा0का0नि0 सं0 961(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1987, सा0का0नि सं0 870(अ) और 873(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988, सा0का0नि0 सं0 515(अ) तारीख 12 मई, 1989, सा0का0नि0 सं0 509(अ) तारीख 24 मई, 1990, सा0का0नि0 सं0 620(अ) तारीख 6 जुलाई, 1990, सा0का0नि0 628(अ) तारीख 10 जुलाई, 1990, सा0का0नि0 सं0 338(अ) तारीख 11 जुलाई, 1991, सा0का0नि0 697(अ) तारीख 25 नवम्बर, 1991, सा0का0नि0 सं0 46(अ) और 47(अ) तारीख 4 फरवरी, 1993, सा0का0नि0 सं0 746(अ) तारीख 13 दिसम्बर, 1993, सा0का0नि0 सं0 55(अ) तारीख 2 फरवरी, 1994, सा0का0नि0 सं0 595(अ) तारीख 30 जून, 1995, सा0का0नि0 सं0 669(अ) तारीख 27 सितम्बर, 1995, सा0का0नि0 सं0 102(अ) तारीख 22 फरवरी, 1996, सा0का0नि0 सं0 261(अ) तारीख 22 मई, 1998, सा0का0नि0 सं0 532(अ) तारीख 27 अगस्त, 1998, सा0का0नि0 सं0 445(अ) तारीख 18 जून, 1999, सा0का0नि0 सं0 611(अ) तारीख 30 अगस्त, 1999 और सा0का0नि0 552(अ) तारीख 22 जून, 2000 द्वारा संशोधित किए गए ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है । तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से संशोधन किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2005

G.S.R. 561(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:-

1. Short title, commencement and application .- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class-III and Class-IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2005.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2002:

Provided that where any Class-III or Class-IV employee gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules comes into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such employee to be governed by the said rule with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such employee.

(3) These rules shall be applicable to those Class III and Class IV employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2002:

Provided that the Class III or Class IV employees whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2002 to the date of publication of this notification in the Official Gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

(4) Nothing contained in these rules shall entitle an employee to claim overtime wages higher than what he had been entitled to prior to the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985,

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:

"4. Scales of Pay and other allowances of Class-III Employees:

(1) The scales of pay of Class III employees shall be as under:-

Higher Grade Assistants	:	Rs.7370-485(3)-8825-540(15)-16925
Section Head	:	Rs. 6490-410(7)-9360-540(12)-15840
Stenographers	:	Rs.6250-350(4)-7650-405(2)-8460-490(3)-9930-510(2)-10950-540(8)-15270
Assistants, Assistants Appointed as Receiving and Paying Cashiers Projectionists and Microprocessor Operators)	:	Rs. 4995-285(1)-5280-310(2)-5900-350(5)-7650-405(2)-8460- 490(3)-9930-510(2)-10950 -540(5)-13650
Record Clerks	:	Rs.4665-165(4)-5325-250(3)-6075-285(2)-6645-290(6)-8385-310(6)-10245

(2) In addition to the scales of pay specified in sub-rule(1) the following categories of employees shall receive a special allowance to the extent specified below: -

(A) Higher Grade Assistants appointed as Internal Audit Assistants

(a) For the first five years - Rs.480/- per month

(b) For the next five years - Rs.545/- per month

(c) For the subsequent years- Rs.590/- per month

(B) Assistants appointed as receiving and paying Cashiers -Rs.515/- per month:

which shall count for the purpose of calculation of Dearness Allowance, Provident Fund, Gratuity, House Rent Allowance, Pension, Encashment of Privilege Leave, and for fixation of salary on promotion till 31st July, 2007.

Provided further that for those who are promoted between the 1st August,2002 and the 31st July 2007 , the pre-revised rate of allowance shall be taken into account for fixation on promotion.

Provided further that after 31st July 2007 this allowance shall not count for the purpose of calculation of Dearness Allowance,Provident Fund, Gratuity, House Rent Allowance, Pension, Encashment of PL and it shall not count for fixation of Salary on promotion.

(3) Functional Allowance shall be paid to the following categories of Employees in Class III cadre.

(a) Banda, Duplicating and Xerox Machine Operators in the scale of Pay of Record Clerks:	- Rs.60/- per month
(b) Microprocessor Operators in the scale of Assistants:	- Rs.120/- per month
(c) Programmers in the scale of pay of Higher Grade Assistants:	- Rs.400/- per month

Provided that an existing Class-III employee who is in receipt of any Functional Allowance as on the 31st day of July, 2002 shall continue to draw the same so long as he is holding the post to which the Functional Allowance is attached, to be absorbed in future wage revision";

(ii) in rule 6, -

(a) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scales of pay of Class-IV subordinate employees shall be as under:-

Drivers	:	Rs. 4665-205(6)-5895-210(1)-6105-250(12)-9105
Sepoys, Hamals, Head Peons, Liftmen and Watchmen	:	Rs. 4105-165(5)-4930-175(8)-6330-205(1)-6535-210(3)- 7165-250(2)-7665

Sweepers and Cleaners : Rs. 3905-165(5)-4730-175(9)-6305-205(5)-7330";

(b) for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) In addition to the scales of pay specified in sub-rule(1)-

(a) following categories of employees shall receive special allowance to the extent specified below, which shall count as a basic pay for all purposes:

Head Peons, Liftmen and Watchmen - Rs.305/- per month.

(b) franking Machine Operators in the scale of Sepoy shall be paid a Functional Allowance of Rs.45/- per month.";

(iii) for rule 7, the following rule shall be substituted , namely:-

"7. Addition to the Basic Pay after reaching maximum of the scales: Subject to the work record being found satisfactory,-

(a) an employee.-

(i) in the scale of Record Clerk or Assistant or Stenographer in Class III: or

(ii) in any of the scales in Class-IV

who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him may be granted for every two completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to a maximum of six such additions :

Provided that no employee shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of two years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be :

(b) An employee in the scale of pay of Section Head and Higher Grade Assistant who has reached the maximum of the scale, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of five such additions:

Provided that no employee shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of three years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be:

Provided further that where an employee is not granted such addition to the basic pay referred to in clause (a) or clause (b) on first day of the month following completion of two years or three years of service, as the case may be. from the date of reaching maximum of the scale of pay applicable to him or from the last such addition to the basic pay (such first day of the month following completion of two or three years of service from the date of reaching maximum of the scale of pay or the last such addition to the basic pay being hereinafter referred to as "the relevant date", as the case may be), his case shall fall due for review in each calendar year in the month following that in which he completes twelve months of service as reckoned from the relevant date, or from the date of such review, so long as he has not been allowed such addition to the basic pay, and if it is decided to allow such addition subsequently, it shall take effect from the first of the month in which the review has fallen due in the calendar year in which the decision is taken.

Explanation.- For the purposes of this rule 'calendar year' means the year from 1st day of January to 31st day of December".

(iv) in rule 8,-

(a) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scale of Dearness Allowance of Class III and Class IV employees shall be determined as under:

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No.2328 in the series 1960=100.

(c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 2328 points, a Class-III or a Class-IV employee shall be paid dearness allowance at the rate of 0.18% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this rule "Pay" means -

(i) basic pay;

(ii) additions to basic pay referred to in rule 7;

(iii) special allowance referred to in sub-rule (2) of rule 4;

(iv) special allowance referred to in sub-rule (2) of rule 6;

(v) Graduation Allowance payable to the employees in the scale of pay of Assistants and Stenographers as provided in rule 19A; and

(vi) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988.";

(b) in sub-rule(2), for the figures and words "1740 points in the sequence of 1740-1744-1748-1752", the figures and words "2328 points in the sequence of 2328-2332-2336-2340" shall be substituted;

(v) in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The House Rent Allowance of Class III and Class IV employees except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as under:

Place of posting	Rate of House Rent Allowance
i. Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	10% of Pay subject to the maximum of Rs.1600/- p.m.
ii. Cities with population exceeding twelve lakhs, except those mentioned at (i),Gandhinagar and any city in the State of Goa .	8% of Pay subject to the maximum of Rs.1350/- p.m.
iii. Other places.	7% of Pay subject to the maximum of Rs.1300/- p.m.

Note : for the purposes of this rule,

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations;

(iii) "pay" means-

(a) basic pay including additions to basic pay referred to in rule 7;

(b) special allowances referred to in sub-rule(2) of rule 4;

(c) special allowance referred to in sub-rule(2) of rule 6;

(d) graduation allowance payable in the scale of pay of Assistant and Stenographers as provided in rule 19A;

(e) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988;

(f) Fixed Personal Allowance provided under rule 19D.";

(vi) for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:-

"10. City Compensatory Allowance: The City Compensatory Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as under:

Place of posting	Rate of CCA
i. Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	3% of Pay subject to the minimum of Rs.160/- p.m. and the maximum of Rs.370/-p.m.
ii. Cities with population exceeding twelve lakhs, except those mentioned at (i) above,Gandhinagar and any city in the State of Goa	2.5% of Pay subject to the minimum of Rs.135/- p.m. and the maximum of Rs.340/- p.m.
iii. Cities with population of five lakhs and above but not exceeding twelve lakhs, State Capitals with population not exceeding twelve lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair and Panchkula.	2% of Pay subject to the minimum of Rs. 100/- p.m. and the maximum of Rs.270/- p.m.

Provided that where any Class III or Class IV employee is in receipt of an amount of Rs.20 per month as city compensatory allowance immediately before the first day of April, 1983, such employee shall continue to receive the said amount so long as he is posted at the same place, to be absorbed in future wage revision."

Note : for the purposes of this rule.

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations;

(iii)"pay" means Basic Pay, Additions to Basic Pay and Special Allowance payable to Class IV.";

(vii) for rule 11, the following rule shall be substituted, namely :-

"11. Hill Allowance: The scales of Hill Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as follows :-

Serial Number	Places (1)	Rates (2)
1	Posted at places situated at a height of 1,500 meters and over above mean sea level	at the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs.270/- per month
2	Posted at places situated at a height of 1,000 meters and over but less than 1,500 meters above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as 'Hill Stations' by Central or State Governments for their employees.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.210/- per month
3	Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with height of 1000 meters and over above mean sea level.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.210/- per month

(viii) for rule 13A, the following rule shall be substituted, namely:-

"13A Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI): The Class III and Class IV employees of the Corporation shall be paid Productivity Linked Lumpsum Incentive as under :

(i) For the period from the 1st April, 2003 to the 31st March, 2005, one time lumpsum payment of 1% of the (pre-revised) wage bill of Class III and Class IV employees as on the 1st August, 2002 shall be paid as ex-gratia in lieu of Productivity Linked Lumpsum Incentive:

(ii) For the period from the 1st April, 2005 to the 31st March, 2009 shall be as specified in the Appendix annexed to these rules:

Provided that though the next wage revision falls due on the 1st August, 2007 the same Productivity Linked Lumpsum Incentive scheme shall be applicable upto Financial Year 2008-2009.

(ix) In rule 19A, in sub-rule (b),-

(i) in clause (i), for the letters and figures "Rs 150/-" the letters and figures "Rs 210/-" shall be substituted;

(ii) in clause (ii), in sub-clause (a), for the letters and figures "Rs 250/-" the letters and figures "Rs 350/-" shall be substituted;

(iii) in clause (ij) in sub-clause (b) for the letters and figures "Rs 125/-" the letters and figures "Rs 175/-" shall be substituted;

(iv) in clause (ii), in sub-clause(c) for the letters and figures "Rs 250/-" the letters and figures "Rs 350/-" shall be substituted;

(v) the following provisos shall be inserted at the end:

"Provided that those who are in receipt of Graduation Allowance under these rules shall continue to get the benefit :

Provided further that those who become Graduates after 31st July, 2007 shall not be eligible for Graduation Allowance under these rules."

(x) in rule 19D, in sub rule (4) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely :-

"(iii) Any Class III or Class IV employee who has joined the services of the corporation after the 22nd June, 2000 shall not be eligible for this increment.";

(xi) for rule 19E, the following rule shall be substituted, namely :-

"19E Transport Allowance.- Every Class III or Class IV employee, other than an employee appointed on temporary basis, shall be paid Transport Allowance at the rate of rupees seventy five per month.";

(xii) for rule 19F, the following rule shall be substituted, namely :-

"19F Paradeep Port Allowance.- Every Class III and Class IV employee working in office(s) at Paradeep shall be paid "Paradeep Port Allowance" of Rs.75/- per month with effect from the first of the month following the date of this notification or the date.

of joining at Paradeep. whichever is later. This allowance shall not rank for any benefits.";

(xiii) for the Appendix, the following Appendix shall be substituted, namely :-

Appendix

PRODUCTIVITY LINKED LUMP SUM INCENTIVE SCHEME (PLLI)

(See rule 13A)

Conditions for grant of Productivity Linked Lumpsum Incentive	(1)Grant of Productivity Linked Lumpsum Incentive shall depend upon performance of the Corporation as a whole in the following areas: Growth in New Policies; Growth in First Year Premium Income; Growth in Total Premium Income; Early Claim Ratio; and Growth in Income from Real Estate. (2) The Productivity Linked Lumpsum Incentive will be calculated on Financial Year basis and will depend upon the level of performance achieved by the Corporation on the five parameters as mentioned above. (3) The Productivity Linked Lumpsum Incentive will be payable only if the achievement of Corporation exceeds the threshold level on Total Premium Income as specified in the Table (1) below. (4) The calculation of Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be based on the Weighted Average Method which shall be calculated on the five parameters given in item (1) above. The percentage so arrived shall be rounded off to nearest integer. The eligible Productivity Linked Lumpsum Incentive percentage shall be the Productivity Linked Lumpsum Incentive percentage arrived at by applying the Weighted Average Method or the percentage of Productivity Linked Lumpsum Incentive under Total Premium Income whichever is lower. (5) The following weightage shall be applied: Parameter — Weightage (i) Total Premium Income — 4 (ii) First Year Premium Income — 4 (iii) New Policies — 3 (iv) Early Claims Ratio — 2 (v) Rental Income — 2 (6) Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be payable at the levels of 1%,2%,3%,etc. upto a maximum of 6% of

	the pre-revised wage bill of Class III and Class IV employees as on the 1st August, 2002 depending upon the achievements of the volumes in the above mentioned areas as per the tables appended hereto. (7) The Total Premium Income and First Year Premium Income for the purpose shall be the premium income on individual assurance policies plus 10% of premium in respect of Jeevan Suraksha and other Individual Pension Plans plus 1.25% of premium in respect of Bima Nivesh ,Jeevan Akshay and other single premium policies,plus 50% of Bima plus , Future plus and like plans and shall exclude Pension and Group Schemes Premium Income. However a marginal shortfall in any of the five parameters noted above may be condoned by the Chairman. (8) The amount of Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of wage bill shall depend upon the volumes achieved by the Corporation in the areas against the percentages mentioned for each parameter in the tables below provided the amount of Total Premium Income as specified in Table 1 First Year Premium Income as specified in Table 2 , number of New Policies as specified in Table 3, Rental Income as specified in Table 4 and Early Claim Ratio as specified in Table 5 Income is not less than the amount of Total Premium Income ,First Year Premium Income ,number of New Policies, Rental Income and Early Claim Ratio, as specified in the respective tables (9) The Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be distributed as a lump sum annually on or after 1st August each year commencing from the 1st April, 2005 for each Financial Years from 2005-2006 to 2008-2009. (10)The proposed Productivity Linked Lumpsum Incentive shall be distributed among various classes in the ratio of pre-revised salary bill as on the 1st August, 2002 to the total wage bill of the Corporation (11) The Corporation shall be empowered to formulate the decentralized performance norms and to frame the terms and conditions of the Productivity Linked Lumpsum Incentive for its employees to finally take it to the branch level. The Board shall within a period of six months from the date of this notification make regulations to take the Productivity Linked Lumpsum Incentive scheme to the Zone or Division or Branch level.

	(12) The weightage assigned to the parameters shall remain the same as given under item (5).

TABLE 1

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of Total Premium Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	71047	83573	98307	115638
1%	71626	84204	98999	116402
2%	72207	84838	99694	117169
3%	72790	85474	100392	117939
4%	73375	86113	101094	118713
5%	73963	86755	101798	119490
6%	74554	87400	102506	120272

TABLE 2

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of First Year Premium Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	14454	15848	17242	18636
1%	14571	15967	17363	18759
2%	14690	16088	17485	18883
3%	14808	16208	17608	19007
4%	14927	16330	17731	19131
5%	15047	16451	17854	19257
6%	15167	16574	17978	19383

TABLE 3

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum number of new policies required to be achieved			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	31222179	33452923	35683667	37914411
1%	31476446	33705584	35934935	38164723
2%	31731728	33959299	36187299	38416176
3%	31988029	34214075	36440766	38668779
4%	32245357	34469917	36695344	38922540
5%	32503716	34726833	36951039	39177467
6%	32763114	34984829	37207860	39433567

TABLE 4

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Minimum amount of Rental Income required to be achieved (Rs. in crores)			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	60.58	64.41	68.24	72.07
1%	61.07	64.90	68.72	72.55
2%	61.57	65.38	69.20	73.02
3%	62.07	65.88	69.69	73.50
4%	62.57	66.37	70.17	73.99
5%	63.07	66.86	70.66	74.47
6%	63.57	67.36	71.15	74.96

TABLE 5

Productivity Linked Lumpsum Incentive in terms of percentage of wage bill	Maximum ratio of Early Death Claims to Total Death Claims			
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Threshold	26.00%	25.40%	24.80%	24.20%
1%	25.90%	25.30%	24.70%	24.10%
2%	25.80%	25.20%	24.60%	24.00%
3%	25.70%	25.10%	24.50%	23.90%
4%	25.60%	25.00%	24.40%	23.80%
5%	25.50%	24.90%	24.30%	23.70%
6%	25.40%	24.80%	24.20%	23.60%

[F. No. 2(14) Ins. III/2002 (iii)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Banking & Insurance)

Note : The principal rules were published vide G.S.R.No.357(E) dated the 11th April, 1985 and subsequently amended vide G.S.R.No 18(E) dated the 7th January, 1986, G.S.R.No.1076(E) dated the 11th September, 1986, G.S.R.No.961(E) dated the 7th December, 1987, G.S.R.No.870(E) and 873(E) both dated the 22nd August, 1988, G.S.R.No.515(E) dated the 12th May, 1989, G.S.R.No.509(E) dated the 24th May, 1990, G.S.R.No.620(E) dated the 6th July, 1990, G.S.R.No.628(E) dated the 10th July, 1990, G.S.R No.338(E) dated the 11th July, 1991, G.S.R.No.697(E) dated the 25th November, 1991, G.S.R.No.46(E) and 47(E) both dated the 4th February, 1993, G.S.R.No.746(E) dated the 13th December, 1993, G.S.R.No.55(E) dated the 2nd February, 1994, G.S.R.No.595(E) dated the 30th June, 1995, G.S.R.No.669(E) dated the 27th September, 1995, G.S.R.No.102(E) dated the 22nd February, 1996, G.S.R.No.261(E) dated the 22nd May, 1998, G.S.R.No.532(E) dated the 27th August, 1998, G.S.R.No.445(E) dated the 18th June, 1999, G.S.R.No.611(E) dated the 30th August, 1999, and G.S.R. No. 552(E) dated the 22nd June, 2000.

Explanatory Memorandum

1. The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of employees of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 562(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2005 है

(2) ये 1 अगस्त, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जाएँगे

(3) ये नियम उन सभी कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1 अगस्त 2002 को या उसके पश्चात निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में थे

परंतु यह कि ऐसे कर्मचारी 1 अगस्त 2002 से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान जिनके त्यागपत्र स्वीकार किए जा चुके हैं या जिनकी सेवाएँ समाप्त की गई हैं, पुनरीक्षण के लेखाओं के बकाए के लिए पात्र नहीं होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम, 1988 में,

(क) नियम 2 में, दूसरे तथा तीसरे परंतुकों में "1997" अंकों के स्थान पर "2002" अंक रखे जाएगें ;

(ख) नियम 2 में, सारणी के स्थान पर निम्न सारणी रखी जाएगी, अर्थात :-

सारणी

क्र.सं.	विशेष क्षेत्र का नाम	* कर्मचारियों के लिए विशेष क्षेत्र भत्ता की दर आहरित मूलवेतन				
		रु.4045 तक	रु.4046 से और अधिक किन्तु रु.6460 तक	रु.6461 से और अधिक किन्तु रु.8835 तक	रु.8836 से और अधिक किन्तु रु.13160 तक	रु.13161 से और अधिक
(1)	मिजोरम					
	(क) मिजोरम का चिम्तुपुई और मिजोरम के लुंगली जिला में लुंगली नगर से 25 किलोमीटर सेवादर के क्षेत्र	300	500	700	1000	1300
	(ख) संपूर्ण लुंगली जिला, मिजोरम के लुंगली नगर से 25 किलोमीटर के क्षेत्र को छोड़कर	250	400	550	800	1050
	(ग) मिजोरम का संपूर्ण अइजावल जिला	150	300	450	600	750
(2)	नागालैंड	250	400	550	800	1050
(3)	अंदमान और निकोबार द्वीप					
	(क) दक्षिणी अंदमान (जिसमें पोर्ट ब्लैयर भी है)	250	400	550	800	1050
	(ख) उत्तरी और मध्य अंदमान, लघु (लिटल) अंदमान, निकोबार और नारकोदम द्वीप समूह	300	500	700	1000	1300
(4)	सिक्किम	300	500	700	1000	1300
(5)	लक्षद्वीप	300	500	700	1000	1300
(6)	असम	40	80	120	160	200
(7)	मेघालय	40	80	120	160	200
(8)	त्रिपुरा					
	(क) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र	250	400	550	800	1050
	(ख) कठिन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	150	300	450	600	750
(9)	मणिपुर	150	300	450	600	750

* वृध्दिरूध्दता वेतन वृध्दियों सहित

(10)	अरुणाचल प्रदेश					
	(क) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र	300	500	700	1000	1300
	(ख) कठिन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	250	400	550	800	1050
(11)	जम्मू और कश्मीर					
	(i) कठुआ जिला					
	(क) निआवत बानी	300	500	700	1000	1300
	(ख) लोही					
	(ग) मल्हार					
	(घ) मछोड़ी					
	(ii) उधमपुर जिला					
	(क) डुडु बसंतगढ़	300	500	700	1000	1300
	(ख) लडेर भाडमग इलाका					
	(ग) ठाकरकोटे					
	(घ) नगोट					
	तहसील महोने					
	(i) कम्बन साइड से मूल तक के क्षेत्रों और केयासी साइड से अरनास तक के क्षेत्रों के लिए	250	400	550	800	1050
	(ii) शेष क्षेत्रों के लिए	300	500	700	1000	1300
	(iii) डोडा जिला					
	(क) किश्तवाड़ तहसील में पड्डार इलाके	300	500	700	1000	1300
	(ख) किश्तवाड़ तहसील में निआवत नोगाम					
	(iv) लेह जिला					
	(क) जन्सकार नोयामा नोबरे	300	500	700	1000	1300
	(ख) जिले में अन्य सभी स्थान	300	500	700	1000	1300
	(v) बारामूला जिला					
	(क) संपूर्ण गुरेम निआवत, तंगदार उपखंड और केरन इलाका	300	500	700	1000	1300
	(ख) मैतचिल	250	400	550	800	1050

	(vi) पुंछ और राजौरी जिला (पुंछ और राजौरी जिले में क्षेत्र जिनके अंतर्गत पुंछ और राजौरी शहर नहीं है तथा दोनों जिलों में सुंदरबनी और अन्य नगर क्षेत्र)	150	300	450	600	750
	(vii) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (i) से (vi) तक में सम्मिलित नहीं हैं किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थानों पर हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारीवृंद के लिए समय-समय पर सीमा भत्तों के लिए अर्हित घोषित किए जाए ।	150	300	450	600	750
(12)	हिमाचल प्रदेश :					
[1]	(क) चंबा जिले में पांगी उपखंड	300	500	700	1000	1300
	(ख) चंबा जिले में भरमोर उपखंड	300	500	700	1000	1300
	(ग) लाहौल और स्पीति जिला	300	500	700	1000	1300
	(घ) किन्नौर जिला	300	500	700	1000	1300
	(ड.) दोदरातवार तहसील और छब्बिस के परगने मुनीम दरकली की पन्द्राबिस ग्राम पंचायतें और शिमला जिले की रामपुर तहसील का काशापट	300	500	700	1000	1300
	(च) कुल्लू जिले का पन्द्राबिस परगना	300	500	700	1000	1300
	(छ) कांगड़ा जिले के पालमपुर उपखण्ड के छोटा भांगल और बड़ा भांगल क्षेत्र	300	500	700	1000	1300
	(ज) चंबा जिले की भटियाट तहसील का झंडरु पंचायत क्षेत्र	300	500	700	1000	1300
	(झ) करसांग तहसील की महोग, सरहन, गोपालपुर, तेवन, पोखी, नोंज, खन्नोज, बागरा, सेज महोदी और बालीधर पंचायत क्षेत्र	300	500	700	1000	1300
	(ञ) शिमला शहर और इसके उप शहर (मशोबरा, दाली, तारादेवी, कुसुंबपती, जटोग और टूटू)	300	500	700	1000	1300
	(ट) दियोथी ग्राम पंचायत (टकलेच क्षेत्र) और नौब्बीस के परगना तथा शिमला जिले की रामपुर तहसील का बारहबीस	300	500	700	1000	1300
	(ठ) जोगिन्दरनगर तहसील की छुहार घाटी, मंडी जिले की थुनाग तहसील के गाटो, वागराओ छातरी, थच्चाघर गरागोस हैंन, कल्हानी थामा, सिलिबगी छेतघर, चनवार, टाची, जोहर खोलानाल, सोमाचन लोथ जरयार, जंजैहली और कलवानर की पंचायतें	300	500	700	1000	1300
	(ड) सोलन जिले के मंगल पंचायत क्षेत्र	300	500	700	1000	1300

	(ढ) कुल्लू जिले के बाहरी सेराज और मलेना पंचायत क्षेत्र	300	500	700	1000	1300
	(ण) सिरमोर जिले का ट्रांसगिरि भूभाग	300	500	700	1000	1300
	(2) (क)मंडी जिले की चच्योट तहसील जनजेहली ब्लाक (उन क्षेत्रों को छोड़कर जो ऊपर (1)(1) में सम्मिलित हैं	150	300	450	600	750
	(ख) शिमला जिले की त्राह चौपाल तहसील	150	300	450	600	750
	(ग) चम्बा जिले की चुराह तहसील	150	300	450	600	750
2)	(घ) चम्बा जिले की मुनर पंचायत और बलाज परगना	150	300	450	600	750
	(ड.) डलहौजी शहर	150	300	450	600	750
	(च) रामपुर तहसील	150	300	450	600	750
	(छ) ऊपर (1) (i) में उपदर्शित पंचायतों को छोड़कर करसांग तहसील	150	300	450	600	750
	(ज) कांगडा जिले का धरमशाला शहर तथा नगरपालिका सीमा के बाहर परंतु धरमशाला शहर में अवस्थिति निम्न कार्यालय : महिलाओं का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारी, यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर, चाइल्ड वेल्फेयर एडं टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग कार्यालय, साकोह, निचले साकोह में स्थित सीआरएसएफ कार्यालय; कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगिआर, एचआरटीसी वर्कशॉप, साधेर, प्रादेशिक मलेरिया कार्यालय, दरी, फारेस्ट कार्पोरेशन ऑफिस, शामनगर, चाय फैक्टरी, दरी, आईपीएच, सब डिविजन, डान, बंदोबस्ती कार्यालय, शामनगर, बिन्वा प्रोजेक्ट, शामनगर	150	300	450	600	750
	(झ) पालनपुर स्थित एचपीकेवीवी कैंपस के साथ कांगड़ा जिले का पालनपुर शहर तथा नगरपालिका सीमा से बाहर परंतु पालनपुर शहर में सम्मिलित निम्न कार्यालय - हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय कैंपस, कैटल डेवलपमेंट कार्यालय/जर्सी फार्म, बानुरी, सेरीकल्चर कार्यालय/इंडोजर्मन एग्रीकल्चर कार्यशाला/एचपीपीडब्ल्यूडी डिविजन, बुंदला इलेक्ट्रिकल सब डिविजन, लोहाना, डीपीओ, कार्पोरेशन बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचपीएसइइ डिविजन घुग्गर	150	300	450	600	750
)	कुल्लू जिले का मनाली उज्झी क्षेत्र, पारवती और लग्ग घाटी और बंजार खंड	40	80	120	160	200

(13)	उत्तर प्रदेश : चमोली, पिथौरागढ़ एंव उत्तर काशी के अधीन क्षेत्र	300	500	700	1000	1300
(14)	उत्तरांचल : रुद्रप्रयाग तथा चंपावत जिलों (लोहघाट क्षेत्र को मिलाकर) के अधीन क्षेत्र	250	400	550	800	1050

[फा. सं. 2(14) बीमा-3/2002 (iv)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एण्ड इंश्योरेंस)

पाद टिप्पण :मूल नियम सा.का.नि.सं 492(अ.) तारीख.22.4.1988 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि.सं.934(अ.) तारीख.27.10.1989, सा.का.नि.सं.322(अ.) तारीख.10.3.1992, सा.का.नि.सं.555(अ.) तारीख.22.6.2000 और सा.का.नि.सं.818(अ.) तारीख.2.11.2001 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

(1) केन्द्रीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को संदेय विशेष क्षेत्र भत्ता को 1 अगस्त, 1997 से पुनर्रक्षित करने की मंजूरी दे दी है । तदनुसार उस तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम, 1988 का संशोधन किया जा रहा है ।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2005

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988, namely:-

1. Short title, commencement and application .- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2002.

(3) These rules shall be applicable to all employees who were in the whole time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August ,2002.

Provided that the employees, whose resignation had been accepted or whose services had been terminated during the period from the 1st August,2002 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988,

(a) in rule 2, in second and third provisos, for the figures "1997" the figures "2002" shall be substituted;

(b) in rule 2, for Table, the following Table shall be substituted, namely :-

TABLE

Name of the Special Area	Rate of Special Area Allowances for Employees Drawing Basic Pay *				
	Upto Rs.4045	Rs.4046 and above but upto Rs 6460	Rs.6461 and above but upto Rs.8835 (2)	Rs.8836 and above but upto Rs.13160	Rs.13161 and above
(1)	Rs.	Rs	Rs.	Rs.	Rs.
1 MIZORAM					
(a) Chumptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 Kms. from Lungali Town in Lunglei District of Mizoram.	300	500	700	1000	1300
(b) Throughout Lungeli District excluding areas beyond 25 Kms. from Lungeli town of Mizoram	250	400	550	800	1050
(c) Throughout Aizawal District of Mizoram	150	300	450	600	750
2 NAGALAND	250	400	550	800	1050
3. THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS					
(a) South Andaman (including Port Blair)	250	400	550	800	1050
(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	300	500	700	1000	1300
4. SIKKIM	300	500	700	1000	1300

* Includes stagnation increments

5. LAKSHADWEEP	300	500	700	1000	1300
6. ASSAM	40	80	120	160	200
7. MEGHALAYA	40	80	120	160	200
8. TRIPURA					
(a) Difficult area of Tripura as notified by State Government from time to time	250	400	550	800	1050
(b) Throughout Tripura except Difficult Areas	150	300	450	600	750
9. MANIPUR	150	300	450	600	750
10. ARUNACHAL PRADESH					
(a) Difficult Areas of Arunachal Pradesh as notified by the State Government from time to time.	300	500	700	1000	1300
(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas	250	400	550	800	1050
11. JAMMU AND KASHMIR					
(i) Kathua District (a) Niabat Bani. (b) Lohi: (c) Malhar: (d) Machodi.	300	500	700	1000	1300

(ii) Udhampur District (a) Dudu Basantgarh: (b) Lender Bhamag Illaca: (c) Thakrakote: (d) Nagote.	300	500	700	1000	1300
Tehsil Mahone (i) For areas upto Gool from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side:	250	400	550	800	1050
(ii) For the rest of the areas	300	500	700	1000	1300
(iii) Doda District (a) Illaquas of Padder in Kishtwar Tehsil (b) Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	300	500	700	1000	1300
(iv) Leh District					
(a) Zanskar, Noyama and Nobre	300	500	700	1000	1300
(b) All other places in the District	300	500	700	1000	1300
(v) Barmulla District					
(a) Entire Gurez-Niabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	300	500	700	1000	1300
(b) Matchill	250	400	550	800	1050
(vi) Poonch and Rajouri District Areas in Poonch and Rajouri Districts excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other Urban areas in the two Districts	150	300	450	600	750

(vii) Areas not included in (i) to (vi) above, but which are within the distance of 8 Kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time to time by the State Government for their own staff.	150	300	450	600	750
12. HIMACHAL PRADESH					
(1)(a) Pangi Sub-Division of Chamba District	300	500	700	1000	1300
(b) Bharmour Sub-Division of Chamba District	300	500	700	1000	1300
(c) Lahaul and Spiti District	300	500	700	1000	1300
(d) Kinnaur District	300	500	700	1000	1300
(e) Dodratawar Tehsil and Parganas of Chaibis, Pandrabis Gram Panchayats of Munish Darkah and Kashapat of Rampur Tehsil of Simla District	300	500	700	1000	1300
(f) Pargana of Pandrabis of Kulu District	300	500	700	1000	1300
(g) Chhota Bhangal and Bara Bhangal area of Palampur Sub-Division of Kangra District	300	500	700	1000	1300
(h) Jhandru Panchayat area of Bhatiyat Tehsil of Chamba District	300	500	700	1000	1300
(i) Mahog, Sarhan, Gopalpur, Teban, Pokhi, Nauj, Khanoj, Bagra, Sainj Mahudi and Balidhar Panchayats of Kersog Tehsil	300	500	700	1000	1300
(j) Simla Town and its Suburbs (Mashobra, Dhalli, Taradevi, Kasumbpti, Jatog and Tutu)	300	500	700	1000	1300
(k) Gram Panchayat Deothi (Taklech areas) and Parganas of Naubis Sarhan and Barabis of Rampur Tehsil of Simla District	300	500	700	1000	1300

(l) Chhuhar Valley of Joginderngar Tehsil, Panchayats of Gatto, Bagraa, Chhatri, Thachadhar Garagus Hain, Kalhani, Thama, Silibagi Chhetdhar, Chanvar, Tachi, Johar Kholanal, Somachan Loth Jaryar, Janjheli and Kalwanr of Thunag Tehsil of Mandi District	300	500	700	1000	1300
(m) Mangal Panchayat area of Solan District	300	500	700	1000	1300
(n) Outer-Saraj and Malana Panchayat area of Kulu District	300	500	700	1000	1300
(o) Trans-Giri Tract of Sirmur District	300	500	700	1000	1300
(2)(a) Janjehli Block (excluding area covered in (1)(l) above Chachoit Tehsil of Mandi District	150	300	450	600	750
(b) Trah Chopal Tehsil of Simla District	150	300	450	600	750
(c) Churah Tehsil of Chamba District	150	300	450	600	750
(d) Munr Panchayat and Balaj Paryana of Chamba District	150	300	450	600	750
(e) Dalhousie Town	150	300	450	600	750
(f) Rampur Tehsil	150	300	450	600	750
(g) Karsog Tehsil Minus the Panchayat indicated under (1)(i) above	150	300	450	600	750
(h) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside its Municipal limits but included in Dharamshala Town - Women's ITI, Dari. - Mechanical Workshop, Ramnagar. - Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh. - CRSF Office at lower Sakoh. - Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar.	150	300	450	600	750

- HRTC workshop, Sadher, - Zonal Malaria Office, Dari, - Forest Corporation Office, Shamnagar, - Tea Factory, Dari, - I.P.H. Sub-Division, Dan, - Settlement Office, Shamnagar, - Binwa Project, Shamnagar.					
(i) Palanpur Town of Kangra District Including HPKVV Campus at Palanpur and the following offices Located outside its Municipal limits But included in Palanpur Town – H.P.Krishi Vishvavidyalay Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/ Indo-German Agruculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	150	300	450	600	750
(3) Manali-Ujhi areas, Parvati and Lagg, Valley and Banjar Block of Kulu District	40	80	120	160	200
13. UTTAR PRADESH Areas under Chamoli, Pithoragarh, And Uttarkashi	300	500	700	1000	1300

14 Uttranchal: Areas under Rudraprayag and Champavat Districts (including area of Lohaghat)	250	400	550	800	1050

[F. No. 2(14) Ins. III/2002 (iv)]
G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Banking & Insurance)

Note : The Principal rules were notified by G.S.R. No.492(E) dated the 22nd April, 1988 and subsequently amended vide GSR No.934(E) dated the 27th October, 1989, vide G.S.R.No.322(E) dated the 10th March, 1992, G.S.R No. 555(E) dated the 22nd June, 2000, and G.S.R. 818(E) dated the 2nd November, 2001.

Explanatory Memorandum

1. The Central Government has accorded approval to revise the Special Area Allowance payable to the employees of the Life Insurance Corporation of India with effect from 1st August, 1997. The Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988 are being amended accordingly with effect from that date.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 563(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2005 है ।

(2) ये 1 अगस्त 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(3) यह नियम उन वर्ग 3 कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1 अगस्त 2002 को या उसके पश्चात् निगम के स्थायी स्थापना में पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में थे :

परंतु वर्ग 3 कर्मचारी, जिनके त्याग-पत्र स्वीकृत हो चुके हैं या 1 अगस्त, 2002 इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की से अवधि के दौरान जिनकी सेवाएं समाप्त की गई है पुनरीक्षित लेखाओं के बकाए के पात्र नहीं होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988, के नियम 2 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम सं0 (1)	वृत्तिक/तकनीकी परीक्षा (2)	विशेष भत्ता (3)
(i)	भारतीय बीमा संस्थान, मुम्बई की परीक्षाएं : (क) लाइसेन्सिएट (ख) असोशिएटशिप (ग) अध्येतावृति	 (क) 115/- रु. प्रतिमास (ख) 325/- रु. प्रतिमास (ग) 545/-रु. प्रतिमास
(ii)	इंस्टीट्यूट आफ एक्चुअरी, लंदन की परीक्षाएं ।	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण कर लेने पर 115/- रु. प्रतिमास ।
(iii)	भारतीय एक्चुअरियल सोसाइटी की परीक्षाएं ।	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण कर लेने पर 115/- रु. प्रतिमास ।
(iv)	भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान तथा भारतीय लागत और संकर्म एकाउन्टेंट संस्थान की परीक्षाएं : (क) इंटरमीडिएट (ख) अंतिम समूह 'क' और 'ख' (ग) अंतिम समूह 'क' और 'ख'	 (क) 235/- रु. प्रतिमास (ख) 400/- रु. प्रतिमास (ग) 545/-रु. प्रतिमास
(v)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कारबार प्रशासन में मास्टर	545/-रु. प्रतिमास

[फा. सं. 2(14) बीमा-3/2002 (v)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एण्ड इंश्योरेंस)

टिप्पण :— मूल नियम सा.का.नि. सं0 491(अ) तारीख 22 अप्रैल 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं0 516(अ) तारीख 12 मई 1989, सा.का.नि. सं0 621(अ) तारीख 6 जुलाई 1990, सा.का.नि. सं0 339(अ) तारीख 11 जुलाई 1991, सा.का.नि. सं0 109(अ) तारीख 1 मार्च 1996, सा.का.नि. सं0 556(अ) तारीख 22 जून 2000 और सा.का.नि. सं0 56(अ) तारीख 22 जनवरी 2002 द्वारा किए गए थे ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को 1 अगस्त, 2002 से कतिपय विनिर्दिष्ट परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्तों का संदाय करने के लिए नियमों को पुनरीक्षित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव देने द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होगी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2005

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988, namely:-

1. Short title, commencement and application.- (1)These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2002.

(3) These rules shall be applicable to those class III employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August 2002:

Provided that the Class III employees, whose resignation have been accepted or whose services had been terminated during the period from the 1st August 2002 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III employees (Special Allowance for passing Examinations) Rules 1988, in rule 2 , for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE

Sr.No. (1)	Professional/Technical Examination (2)	Special Allowance (3)
i)	Examination of the Insurance Institute of India, Mumbai:	
	(a) Licentiate	(a) Rs. 115/- per month.
	(b) Associateship	(b) Rs. 325/- per month.
	(c) Fellowship	(c) Rs. 545/- per month.
ii)	Examination of the Institute of Actuaries, London.	Rs. 115/- per month on passing each subject.
iii)	Examinations of the Actuarial Society of India.	Rs. 115/- per month on passing each subject.
iv)	Examinations of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost and Works and Accountants of India:	
	(a) Intermediate	(a) Rs.235/- per month.
	(b) Final Group `A' or `B'	(b) Rs.400/- per month.
	(c) Final Group `A' and `B'	(c) Rs.545/- per month.
v)	Master of Business Administration of a recognised University/ Institution:	Rs.545/- per month.

[F. No. 2(14) Ins. III/2002 (v)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Banking & Insurance)

Note : The principal rules were published vide G.S.R. No.491(E) dated the 22nd April 1988 and subsequently amended vide G.S.R. No.516(E) dated the12th May1989, G.S.R No.621(E)dated the 6thJuly1990, G.S.R. No.339(E) dated the11th July.1991 ,G.S.R. No.109(E) dated the1st March1996 , G.S.R. No. 556(E) dated the 22nd June2000 and G.S.R. 56(E) dated the 22nd January 2002.

Explanatory Memorandum

1. The Central Government has accorded approval to revise the rules for payment of Special Allowance for passing certain specified examination being paid to the employees of the Life Insurance Corporation of India with effect from the 1st day of August 2002.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 564(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता)संशोधित नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 में,

(i) नियम 2 में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

सारणी-I

क्र0सं0	उत्तीर्ण प्रश्न-पत्रों की संख्या	प्रति मास विशेष भत्ते की दर
1.	प्रथम तीन प्रश्न-पत्र	300रूपए प्रति प्रश्न-पत्र
2.	अगले तीन प्रश्न-पत्र	500रूपए प्रति प्रश्न-पत्र
3.	अगले तीन प्रश्न-पत्र	800रूपए प्रति प्रश्न-पत्र
4.	अगले तीन प्रश्न-पत्र	900रूपए प्रति प्रश्न-पत्र
5.	अगले तीन प्रश्न-पत्र	1,000रूपए प्रति प्रश्न-पत्र

सारणी - 2

(अ) यदि कोर बीमांकिक संबंधित विभागों में तैनाती है :	
(क) यदि आठ प्रश्न-पत्रों का उत्तीर्ण किया है ।	(क) सारणी 1 के अनुसार प्रश्न-पत्रवार भत्ते के अतिरिक्त 3,000रुपये प्रति मास
(ख) सभी कोर तकनीकी (सी.टी.) सीरीज प्रश्न-पत्र और अप्लीकेशन 3 (सीए 3) प्रश्न-पत्र या यदि नयी शिक्षा पद्धति 2005 के अंतर्गत 12 प्रश्न-पत्रों को उत्तीर्ण किया हो ।	(ख) 10,000रुपये प्रति मास नियत (प्रत्येक 13वें और 14वें प्रश्न-पत्रों को उत्तीर्ण करने पर 1,000 रुपये प्रति मास
(ग) अध्येतावृती के लिए सभी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण किए हों ।	(ग) 40,000रुपए प्रति मास नियत
(आ) यदि गैर कोर बीमांकिक संबंधित विभागों में तैनाती है और यदि अध्येतावृती के लिए सभी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण किए हों ।	सारणी 1 के अनुसार प्रश्न-पत्रवार भत्ते के अतिरिक्त 5,000रुपए प्रति मास

(ii) नियम 3 में, उप-नियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) कोई ऐसा कर्मचारी जो निगम के अध्यक्ष द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित कार्य के को या गैर कोर के बीमांकन संबंधित क्षेत्रों मे कार्य कर रहा है, ऐसे प्रमाणित कार्य के बीमांकन संबंधित क्षेत्रों में कार्य करना जारी रखता है, उसे विशेष भत्ता संदत्त किया जायेगा ।"

(iii) नियम 4 के उप-नियम (1) में "10,000रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "50,000रुपए प्रति मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 2(14) बीमा-3/2002 (vi)]
जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एण्ड इंश्योरेंस)

टिप्पण :—मूल नियम सं. सा.का.नि. 55(अ) तारीख 22-1-2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2005

G.S.R. 564(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Amendment Rules, 2005.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002,-

(i) in rule 2 for the Table, the following Tables shall be substituted namely:-

TABLE I

Serial Numbers	Number of papers cleared (1)	Rate of Special Allowance per month (2)
(1)	1st three papers	Rs.300/- each paper
(2)	Next three papers	Rs.500/- each paper
(3)	Next three papers	Rs.800/- each paper
(4)	Next three papers	Rs. 900/- each paper
(5)	Next three papers	Rs.1,000/- each paper

TABLE 2

(A)If posted in the core actuarially related departments:	
(a)if passed eight papers	(a) Rs. 3,000/- per month in addition to paperwise allowance as in Table 1
(b) all Core Technical (CT) series papers and the Core Application 3 (CA3) paper or if passed twelve papers under New Education Strategy 2005	(b) Rs. 10,000/- per month fixed (Rs. 1,000/- per month each on passing 13th and 14th papers)
(c)if completed all papers for Fellowship	(c) Rs. 40,000/- per month fixed
(B)If posted in the non core actuarially related departments and if completed all papers for Fellowship	Rs. 5,000/- per month in addition to the paperwise allowance as in Table 1

(ii) in rule 3, for sub-rule (c), the following sub-rule shall be substituted, namely :

"(c) An employee who is working in the core or non core actuarially related areas of work as certified by the authority prescribed by the Chairman of the Corporation shall be paid the special allowance so long as he continues to work in such certified actuarially related areas of work.";

(iii) in rule 4, in sub-rule (1), for the letters, figures and words "Rs 10,000/- per month" letters, figures and words " Rs 50,000/- per month " shall be substituted.

[F No. 2(14) Ins. III/2002 (vi)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Banking & Insurance)

Note : The principal Rules were notified by G.S.R.No. 55 (E) dated 22.01.2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 565(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 एवं वर्ग 4 कर्मचारी (प्रोन्नति) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 एवं वर्ग 4 कर्मचारी (प्रोन्नति) संशोधन नियम, 2005 है ।
(2) ये नियम राजपत्र मे प्रकाशन तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 एवं वर्ग 4 कर्मचारी (प्रोन्नति) संशोधन नियम, 1987 में -

(i) नियम 3 में,

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :-

(2) (क) वर्ग 3 मे सभी काडरों में जिनके अंतर्गत इंजीनियरिंग या वास्तु सहायक श्रेणी-2 और श्रेणी-3 और उच्चतर श्रेणी सहायक (प्रक्षेपक) भी हैं, किसी परिक्षेत्र कार्यालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर स्थित सभी कार्यालयो में पात्र कर्मचारियों में से की जाएगी ।

(ख) वर्ग 4 में सभी काडरों में प्रोन्नति किसी प्रभागीय कार्यालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर स्थित सभी कार्यालयों में पात्र कर्मचारियों मे से की जाएगी ।

(ख) उपनियम (4) का लोप किया जाएगा ।

(ii) अनुसूची में क्रमशः प्रशासनिक अधिकारी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी (प्रोग्रामर) के पदों से सम्बंधित क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 4 के सामने -

(क) स्तंभ (3) में "(1) अर्धाक्षक" अंक कोष्ठक और शब्द का लोप किया जाएगा ;
स्तंभ (4) में "अर्धाक्षक या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 2(14) बीमा-3/2002 (vii)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एण्ड इंश्योरेंस)

टिप्पणः मूल नियम सा0का0नि0.सं0 824 (अ) तारीख़ 25 सितम्बर, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें तत्पश्चात् सा0का0नि0.सं0 462 (अ) तारीख़ 30 अप्रैल, 1990, सा0का0नि0.सं0 229 (अ) तारीख़ 23 अप्रैल, 1991 और सा0का0नि0.सं0 266 (अ) तारीख़ 22 अप्रैल द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2005

G.S.R. 565(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV employees (Promotion) Rules, 1987, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV employees (Promotion) Amendment Rules, 2005.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV employees (Promotion) Amendment Rules, 1987.-

(i) in rule 3,-

(a) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) (a) Promotion to all cadres in Class III including promotions to the posts of Engineering or Architectural Assistants Grade II and Grade III and Higher Grade Assistant (Projectionist), shall be effected from among the eligible employees in all the offices situated within the territorial limit of a Zonal Office.

(b) Promotion to all cadres in Class IV shall be effected from among the eligible employees in all the offices situated within the territorial limit of a Divisional Office.";

(b) the sub-rule (4) shall be omitted.

(ii) in the Schedule, against serial number 1 and 4, relating to the posts of Assistant Administrative Officer and Assistant Administrative Officer (Programmer) respectively,-

(a) in column (3), the figures and words "(i) Superintendents" shall be omitted.

(b) in column (4), the words "Superintendents OR" shall be omitted.

[F. No. 2(14) Ins. III/2002 (vii)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Banking & Insurance)

Note : The principal rules were published vide G.S.R.No.824 (E) dated the 25th September, 1987 and subsequently amended vide G.S.R.No.462 (E) dated the 30th April, 1990, G.S.R.No.229 (E) dated the 23rd April,1991 and G.S.R.No. 266 (E) dated the 22nd April,1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.